कार्यवाही विवरण

मेसर्स श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा स्टील संयंत्र का विस्तार (1) डी.आर.आई. किल्न (स्पंज ऑयरन 1,20,000 टन/वर्ष से 6,48,000 टन/वर्ष) (2) इण्डक्शन फर्नेस सी.सी.एम. और एल.आर.एफ. के साथ (हॉट बिलेट्स/बिलेट्स/इंगाट्स 1,23,500 टन/वर्ष 4,53,000 टन/वर्ष) (3) रोलिंग मिल (टी.एम.टी. बार/स्ट्रक्चरल स्टील/वॉयर रॉड मिल के साथ एच.बी. वॉयर कुल्ड रोल एवं स्ट्रीप मिल पाईप मिल के साथ) (85 प्रतिशत हॉट बिलेट के साथ हॉट चार्जिंग और शेष 15 प्रतिशत आर.एच.एफ. के माध्यम से एल.डी.ओ. इंधन के साथ 94,800 टन/वर्ष से 5,30,400 टन/वर्ष) (4) डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित विद्युत संयंत्र 8 मेगावाट से 44 मेगावाट (5) एफ.बी.सी. आधारित विद्युत संयंत्र 4 मेगावाट से 54 मेगावाट, (6) ईट निर्माण इकाई 80,000 ईट/दिन से 1,50,000 ईट/दिन, (7) नया 2x9 एम.व्ही.ए. और 4x6 एम.व्ही.ए. फेरो एलायज (FeSi-38900 टी.पी.ए. या FeMn-1,40,000 टी.पी.ए. या SiMn-80,000 टी.पी.ए. या FeCr-83,500 टी.पी.ए. या पिग ऑयरन 1,40,000 टी.पी.ए.) (8) नई ब्रिकेटिंग इकाई (1000 किलोग्राम/घंटा) और (9) नई कोल वॉशरी (6,00,000 टी.पी.ए.) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 02 नवम्बर 2022 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा स्टील संयंत्र का विस्तार (1) डी.आर.आई. किल्न (स्पंज ऑयरन 1,20,000 टन/वर्ष से 6,48,000 टन/वर्ष) (2) इण्डक्शन फर्नेस सी.सी.एम. और एल.आर.एफ. के साथ (हॉट बिलेट्स/बिलेट्स/इंगाट्स 1,23,500 टन/वर्ष 4,53,000 टन/वर्ष) (3) रोलिंग मिल (टी.एम.टी. बार/स्ट्रक्चरल स्टील/वॉयर रॉड मिल के साथ एच.बी. वॉयर कुल्ड रोल एवं स्ट्रीप मिल पाईप मिल के साथ) (85 प्रतिशत हॉट बिलेट के साथ हॉट चार्जिंग और शेष 15 प्रतिशत आर.एच.एफ. के माध्यम से एल.डी.ओ. इंधन के साथ 94,800 टन/वर्ष से 5,30,400 टन/वर्ष) (4) डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित विद्युत संयंत्र 8 मेगावाट से 44 मेगावाट (5) एफ.बी.सी. आधारित विद्युत संयंत्र 4 मेगावाट से 54 मेगावाट, (6) ईट निर्माण इकाई 80,000 ईट/दिन से 1,50,000 ईट/दिन, (7) नया 2x9 एम.व्ही.ए. और 4x6 एम.व्ही.ए. फेरो एलायज (FeSi-38900 टी.पी.ए. या FeMn-1,40,000 टी.पी.ए. या SiMn-80,000 टी.पी.ए. या FeCr-83,500 टी.पी.ए. या पिग ऑयरन 1,40,000 टी.पी.ए.) (8) नई ब्रिकेटिंग इकाई (1000 किलोग्राम/घंटा) और (9) नई कोल वॉशरी (6,00,000 टी.पी.ए.) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 02.11.2022, दिन–बुधवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–बंजारी मंदिर के समीप का मैदान, ग्राम–तराईमाल, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छ.ग)** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम

पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रांरभ हुई। सर्वप्रथम मैं आशीष तिवारी, हमारे द्वारा ग्राम सरायपाली, तहसील तमनार, जिला–रायगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में 27.529 एकड़ भूमि पर स्टील उत्पादन इकाई का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में स्पंज आयरन इकाई (उत्पादन क्षमता 12000 टन प्रतिवर्ष), इण्डक्शन फर्नेस इकाई एम.एस. बिलेट्स (उत्पादन क्षमता 123500 टन प्रतिवर्ष), वेस्ट हीट रिकव्हरी आधारित विद्युत उत्पादन इकाई (06 मेगावाट) तथा एफ.बी.सी. आधारित विद्युत उत्पादन इकाई 04 मेगावाट संचालित है। इस हेतु छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया है। जिसकी वैद्यता दिनांक 28.02.2023 तक है। वर्तमान में कंपनी द्वारा विद्यमान परिसर 27.529 एकड़ भूमि तथा उसी से लगी हुई अतिरिक्त भूमि 53.745 एकड़ भूमि पर क्षमता विस्तार प्रस्तावित है। जिसमें डी आर आई किल्न में क्षमता विस्तार स्पंज आयरन उत्पादन 1,20,000 टन/वर्ष 6,48,000 टन/वर्ष, इण्डक्शन फर्नेस इकाई तथा इसके अनुकूल एल.आर.एफ. एवं सी.सी.एम. में क्षमता विस्तार एम.एस.इंगाट्/बिलेट्स उत्पादन 1,23,500 टन/वर्ष से 4,53,000 टन/वर्ष, रोलिंग मिल में क्षमता विस्तार रोल्ड प्रोडक्ट्स 94,800 टन/वर्ष से 5,30,400 टन/वर्ष, वेस्ट हीट रिकव्हरी आधारित विद्युत उत्पादन इकाई 08 मेगावाट से 44 मेगावाट, एफ.बी.सी. आधारित विद्युत उत्पादन इकाई 04 मेगावाट से 54 मेगावाट, नवीन फेरो एलॉयज उत्पादन इकाई 02 X 09 एम.व्ही.ए. एवं 04X 06 एम.व्ही. ए. फेरो सिलिकॉन 38900 टन/वर्ष या फेरो मैगनीज 140000 टन/वर्ष या सिलिको मैगनीज 80000 टन/वर्ष या फेरोक्रोम 83500 टन/वर्ष या पिग आयरन 140000 टन/वर्ष, नई कोल वाशरी 6,00,000 टन/वर्ष, नवीन फ्लाई ऐश ब्रिक उत्पादन 80,0000 ईंट /दिन तथा नई ब्रिकेटिंग इकाई 1000 किलोग्राम/घंटा की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार की कुल अनुमानित लागत रूपये 384.00 करोड़ है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के लिए वर्तमान पर्यावरण नियमानुसार हमारे द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। इसी तारतम्य में यह जनसुनवाई आयोजित की गई है। वायु प्रदूषण रोकथाम हेतु हमारे द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए संचालित वेस्ट हीट रिकव्हरी बॉयलर युक्त

स्पंज आयरन उत्पादन इकाई में ई.एस.पी., इण्क्शन फर्नेस इकाई में बैग फिल्टर की स्थापना की गई है। सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता पार्टीकुलेट मैटल उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम/सामान्य घन मीटर से कम अनुरूप है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार में वेस्ट हीट रिकव्हरी बॉयलर युक्त स्पंज आयरन उत्पादन इकाई में बैग फिल्टर की प्रस्तावित कोल वाशरी में बैग फिल्टर की, सीएफबीसी बॉयलर आधारित विद्युत उत्पादन इकाई में ईएसपी की स्थापना स्लैग क्रशिंग इकाई एवं ईट बनाने वाली इकाई में बैग फिल्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। सभी प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता पार्टीकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलीग्राम /घन मीटर से कम के अनुरूप होगी। जल प्रदूषणः– विद्यमान संचालित इकाईयों के लिए 645 किलो लीटर/दिन जल की आवश्यकता होती है। जिसे भू–जल स्त्रोत से लिया जाता है तथा केन्द्रीय भू–जल मण्डल से अनापत्ति प्राप्त की गई है। प्रस्तावित परियोजना के लिए 3170 किलोलीटर/दिन जल की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित जल राशि का आहरण बर्देह झरना नाला से किया गया है तथा आवेदन प्रक्रियाधीन है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत जल आहरण हेतु अनुमति जल संसाधन विभाग से ली जावेगी, इस संबंध में जल संसाधन विभाग का आवेदन किया गया है तथा आवेदन प्रक्रियाधीन है। प्रस्तावित विद्युत उत्पादन इकाई में जल खपत कम करने हेतु एयर कूल्ड कंडेंसर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। विद्यमान इकाई में क्लोज्ड सर्किट कूलिंग सिस्टम की स्थापना के कारण संचालित स्पंज आयरन इकाई, इण्डक्शन फर्नेस इकाई से दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। रोलिंग मिल से उत्पन्न दूषित जल को सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है जहां से उसे पुर्नचक्रित किया जाता है। घरेलू दूषित जल की मात्रा 8.0 किलोलीटर/दिन है जिसका उपचार सैप्टिक टैंक तथा शोकपीट द्वारा किया जाता है। शून्य निस्तारण संकल्प का परिपालन किया जाता है। प्रस्तावित इकाईयों में क्लोज्ड सर्किट कूलिंग सिस्टम को अपनाया जावेगा जिससे डीआरआई किल्नों, एसएमएस इकाई, फैरो एलॉयज एवं रोलिंग मिल इकाईयों द्वारा किसी प्रकार का दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। पॉवर प्लांट में एयर कूल्ड कंडेन्सर की स्थापना की जावेगी, जिससे जल खपत में काफी कमी आयेगी। अतः दूषित जल के उत्सर्जन में भी कमी आयेगी। प्रस्तावित क्षमता विस्तार के बाद औद्योगिक दूषित जल की अनुमानित मात्रा 670 किलो लीटर /दिन होगी जिसका उपचार ईटीपी में किया जायेगा। उपचार के बाद इसका उपयोग डस्ट सप्रेशन, ऐश कंडिशनिंग, ईंट निर्माण तथा सिंचाई में किया जायेगा। प्रस्तावित क्षमता विस्तार के बाद घरेलू दूषित जल की अनुमानित मात्रा 2 किलो लीटर /दिन होगी जिसका उपचार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जावेगा। उपचार के बाद इसका उपयोग सिचांई में किया जायेगा। शून्य निस्तारण स्थिति बनाई रखी जावेगी। जिससे आस–पास के पर्यावरण पर दूषित जल का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। प्रस्तावित परिसर में 37 एकड़ 10.93 हेक्टेयर भूमि पर हरित पट्टिका का विकास किया जाना प्रस्तावित है। जिससे विद्यमान हरित पट्टिका सम्मिलित है। विद्यमान पट्टिका की चौड़ाई न्यूनतम 10 मीटर है तथा परिसर में लगभग 8120 नग पेड़ जीवित है। हमारे द्वारा संचालित इकाई में आस–पास के लोगों को योग्यतानुसार रोजगार दिया गया है। तथा प्रस्तावित परियोजना में भी स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी। सामाजिक दायित्व

के निर्वहन नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना के प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सुझायें गये सभी उपायों को अपनाया जायेगा जिसमें परियोजना द्वारा निकटस्थ क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे। अंत में प्रस्तावित परियोजना के लिये उपस्थित जनता से सहयोग की उपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहां सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 1000–1100 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 173 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. बिन्देश्वरी भगत, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
2. सुमन चौहान, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
3. संतोषी, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
4. जमुना, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
5. गौरी, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
6. मीरा बाई, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
7. बसंती चौहान, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
8. सुकांति, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
9. सुलोचना, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
10. सावित्री, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
11. सीया बाई, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
12. सुसमा, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

13. दयाराम, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
14. हलराम, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
15. भुरूराम, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
16. बलराम, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
17. संजय, सामारूमा – आस–पास के गाव को देखे, श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
18. समारू, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
19. आनंद राम, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
20. मेहत्तर, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
21. मोगरा, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
22. वर्षा, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
23. नर्मदा, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
24. रतना, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
25. गुलमत, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
26. जया महंत, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
27. अंजली, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
28. कुमारी बाई, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
29. सरोज, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
30. कुमारी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
31. उषा, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
32. सरस्वती, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
33. प्रकाश, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
34. परस राम, पूंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
35. रामसिंह, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
36. उसीत, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
37. राधेलाल, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
38. सतलाल, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
39. दीवान, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
40. पंचराम, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
41. सरिता, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

42. आशा, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। काम करने वाले को मत निकालिये।
43. करिश्मा, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
44. गुलांती, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
45. श्वेता – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
46. बिंदू यादव – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
47. सुकमति, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
48. सरोजनी, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
49. दीपिका, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
50. राजमोहनी, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
51. रामबाई – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
52. बबीता, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
53. आशा मिंज, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
54. अंजना, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
55. भगवति, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
56. चंपा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
57. जगेश्वनी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
58. प्रतिमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
59. सीमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
60. विनेन्द्र, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
61. अरविंद, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
62. फुलाद यादव, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
63. सलीम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
64. दुखीराम, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
65. चंद्रपाल, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
66. योगेश, लैलूंगा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
67. बसंत – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
68. रतनिक – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
69. संतोष – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

70. मानमती, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
71. रघुमति, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
72. सरिता, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
73. रेखा, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
74. गीता, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
75. दीगंबरी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
76. जानकी, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
77. हेममती, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
78. बिरंजी, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
79. तिजमती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
80. माधुरी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
81. बिमला, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
82. भगवति, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
83. मंगल, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
84. राजकुमारी, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
85. पुष्पा, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
86. सिंदु, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
87. मोहंती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
88. जगमती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
89. मीरा बाई – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
90. रेशमा, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
91. सुखमति, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
92. संतोषी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
93. सफेद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
94. कुंती, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
95. लीलावती, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
96. माधुरी, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
97. केशकुमारी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
98. यशोदा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

99. मीरा, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
100. कुंती, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
101. सुमन, पूंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
102. रीना – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
103. ननकी, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
104. सरस्वती, पूंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
105. अंकीता – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
106. लक्ष्मीन – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
107. मोतीबाई, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
108. रूकमणी, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
109. नीरा, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
110. पुष्पा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
111. सावित्री, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
112. नंदनी, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
113. अगुस्टिना, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
114. आरती, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
115. श्याम, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
116. सुचिता, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
117. सुखमेत, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
118. घुराई – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
119. लोकेश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
120. रजत – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
121. सीमाराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
122. विजय – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
123. सेतराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
124. हेमप्रसाद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
125. विकास, जशपुर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
126. मदन, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
127. सुखीराम, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

128. रानू, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
129. गुड़िया, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
130. पुष्पा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
131. सीमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
132. बसंती, पूंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
133. चुनमुनी, पूंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
134. देवकी, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
135. पदमा, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
136. सुखमनी, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
137. रश्मी, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
138. जयकुमारी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
139. शोभा, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
140. मोहन, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
141. लता, पंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
142. पुसाई, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
143. खुसबु, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
144. ललीता, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
145. सुखमती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
146. पदमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
147. मीना देवी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
148. निर्मला देवी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
149. अंजली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
150. भगतीन – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
151. बुधिया – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
152. बिमला – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
153. गुरूवारी –
154. सेतकुंवर –
155. सरीता, गेरवानी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
156. गिरजा, गेरवानी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

157. गुड़िया, गेरवानी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
158. नीलम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
159. प्रेमसीला – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
160. लीला – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
161. उमा, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
162. ज्योति, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
163. गिरवेश – आपलोग कार्यवाही कर रहे है कि नहीं
164. अनिल, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
165. धनवार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
166. प्रमोद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
167. बावड़ा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
168. सुरज – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
169. रामदयाल, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
170. अनिल, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
171. डब्ल्यू. एक्का – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
172. सलेश्वर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
173. रविशंकर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
174. बुंदेश्वर, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
175. अभय, – जितने भी लोकल आदमी है उनको नौकरी दिया जाये।
176. शंकर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
177. चक्रदयाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
178. श्रीधर, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
179. सनीरोबाई, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
180. पुष्पा, पूंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
181. सुनिता, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
182. ईसीका, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
183. बृंदावती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
184. सरीता, गेरवानी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
185. आशा, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

186. लवली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

187. दीपिका, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

188. सरोजनी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

189. सोनी कुमारी, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

190. देवराज, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

191. पुरन, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

192. चंदू, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

193. किशन, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

194. बिरू सिंह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

195. रामप्रसाद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

196. भगवती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

197. निंद्रावती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

198. अंजना, पूंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

199. अहिल्या, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

200. बिसाखा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

201. जानकी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

202. रश्मिता – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

203. जनकराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

204. सुखमनी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

205. किराबाई – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

206. कलेश्वरी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

207. अनिता – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

208. रीना – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

209. सोनी देवी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

210. बिलासीनी, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

211. लीला, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

212. मंगला – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

213. अरूण, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

214. प्रितम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

215. लोकेश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

216. रामधन, छर्राटांगर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

217. रंजन – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

218. रीता, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

219. सुमीत्रा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

220. भगवती, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

221. सुखमनी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

222. लालती, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

223. देवी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

224. चंचल, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

225. रामकुमारी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

226. नरेश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

227. राहस राम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

228. जनत, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

229. सुबलराम, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

230. अमोश एक्का – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

231. केदार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

232. मोनू कुमार, पूंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

233. खिरोधर, पूंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

234. दयाराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

235. सेवा बाई – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

236. जानकी, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

237. फुलमती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

238. जया यादव, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

239. सेतमती, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

240. मंगला – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

241. चंद्रबाला – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

242. मनीया बाई – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

243. सीतल, पूंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

244. संतोषी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
245. शिशुपाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
246. नरेन्द्र तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
247. चैतन, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
248. सुखीराम, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
249. जयपाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
250. बिरेन्द्र, देलारी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
251. अनमोल, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
252. त्रिनोद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
253. शिवनाथ, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
254. सदानंद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
255. रंगलाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
256. नरेछन्न – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
257. जगत राम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
258. आनंद, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
259. गजेन्द्र – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
260. सुनील – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
261. बसंती, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
262. पायल, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
263. चंद्रकला, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
264. भुरीबाई – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
265. त्रिवंती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
266. सुशीला – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
267. सुचित्रा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
268. हारावती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
269. रूकमणी, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
270. संतोषी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
271. सुसमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
272. केरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

273. जुम्मी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
274. मांगमती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
275. रबिना – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
276. दीपा, पूंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
277. पदमा, पूंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
278. धनीश्वर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
279. रोशन – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
280. सूरज – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
281. लेकु, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
282. दीपक, गेरवानी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
283. गौरी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
284. नरेन्द्र, गेरवानी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
285. कपीलो, गेरवानी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
286. शशीकला, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
287. सविता, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
288. कौशिल्या – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
289. बिना – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
290. राधिका, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
291. मथुरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
292. राजकुमारी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
293. तन्न कुमारी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
294. जमुना, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
295. भगवती, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
296. रानी, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
297. सुखमती, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
298. जानकी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
299. रजनी, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
300. दशीता – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
301. जया – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

302. निर्मला – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

303. मेनका – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

304. पूरन, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

305. दशरथ, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

306. फिरतराम, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

307. जितकुमार, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

308. उमेश, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

309. राधेलाल, पूंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

310. गणेशराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

311. जगत – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

312. कुशल, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

313. संतोष – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

314. प्रहलाद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

315. संजय – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

316. राजेश, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

317. गंगा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

318. शंकर, लाखा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

319. शिवशंकर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

320. प्रहलाद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

321. अक्षय – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

322. कमलेश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

323. पंचराम, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

324. सूरज, पूंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

325. सुखमनी, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

326. अनिश्का – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

327. वर्षा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

328. रिजिस तिर्की – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

329. बरत, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

330. सविता, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

331. पारू – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
332. पदमा, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
333. कमला, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
334. रश्मि – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
335. गीता – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
336. जगमति – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
337. लता, पूंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
338. सहोद्रा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
339. सविता – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
340. खबरी, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
341. रूतन – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
342. मंगला – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
343. नरेन्द्र – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
344. सूरज – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
345. मून्ना – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
346. निर्मल, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
347. लालकुमार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
348. शिवा, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
349. अनिल, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
350. रवि, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
351. राजू, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
352. गीता, पूंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
353. सुशीला – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
354. बुधियारिन – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
355. रामकुमारी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
356. उषा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
357. ललिता, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
358. राजकुमारी, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
359. लक्ष्मी, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

360. संगीता, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

361. सुंदर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

362. पार्वती, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

363. सीमा, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

364. गीता, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

365. मंजिता, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

366. गुड़िया – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

367. धनमती, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

368. फुलमती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

369. आशमती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

370. लक्ष्मी, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

371. नंदकुमारी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

372. गायत्री, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

373. सविता, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

374. प्रतिक्षा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

375. ममता, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

376. लक्ष्मी, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

377. सुधिना – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

378. तनुजा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

379. सामू, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

380. दशाराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

381. नरेश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

382. गुड्डु – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

383. फुलसिंह, जमडभरी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

384. हेमलाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

385. संतोष – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

386. साय – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

387. प्रेमसिंह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

388. श्यामलाल, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

389. त्रिलोचन, गौरमुड़ी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

390. मंथुराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

391. श्यामलाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

392. शंकर, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

393. हेमंत – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

394. लक्ष्मी, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

395. गीता, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

396. संगीता, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

397. खुशी, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

398. सरिता – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

399. अंजली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

400. नांनबाई – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

401. मिशु – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

402. निली, पूंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

403. सोनी, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

404. जुगती, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

405. प्रभा, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

406. लालमति – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

407. कमला – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

408. राधिनि – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

409. राजकुमारी, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

410. मंनिषा मिंज, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

411. माधुरी, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

412. राजमति – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

413. केकति – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

414. भिमराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

415. भगेश्वर, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

416. रामनारायण, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

417. कमलेश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

418. जानी साहू – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

419. मनीष – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

420. जाहिद कुमार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

421. सोनू, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

422. उपेन्द्र – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

423. रामू – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

424. देवराज, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

425. राखी, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

426. कविता – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

427. सुमिता – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

428. शारदा, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

429. ज्योति, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

430. राजो, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

431. सौम्या – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

432. प्रिति – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

433. फुलकुमारी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

434. गीता, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

435. सत्यभामा, हर्राडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

436. जामवती, हर्राडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

437. रवि, गेरवानी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

438. सरोज – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

439. गोपीचंद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

440. चनेश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

441. उचित कुमार, गेरवानी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

442. अशोक, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

443. सुदामा, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

444. मनोज – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

445. पदमानंद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। कंपनी अच्छा है।

446. कमला, हर्राडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

@

447. गंगा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

448. पदमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

449. सफेदमती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

450. पिली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

451. तुलसी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

452. मुनिया – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

453. मीरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

454. संगीता – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

455. सीता बाई – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

456. आशमती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

457. भुना चौहान – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

458. चंपा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

459. भगवती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

460. सेतकुमारी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

461. पुतली देवी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

462. अभिनव – हमारे गांव में डस्ट बड़ गया है, गड्डा हो गया है उसको भरवा दीजिये, तालाब में भी डस्ट हो गया है, हमारे गांव में बहुत प्लांट हो गया है। रोड को बनवा दीजिये, सभी प्लांट का गाड़ी चलता है।

463. रेशम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

464. लकेश्वर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

465. लखुराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

466. सुरेश कुमार, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

467. गणेश, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

468. जावेद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

469. राजकुमार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

470. राज राठिया – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

471. तरूण – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

472. मोहन, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

473. बिना देवी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

474. पदमनि, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

475. सविता – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

476. रिंकी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

477. श्रद्धा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

478. लक्ष्मीन – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

479. मुस्कान – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

480. किरण – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

481. अनिता – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

482. रजनी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

483. अंबिका – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

484. रोशनी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

485. देवमती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

486. रामवती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

487. जानकी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

488. शीला – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

489. शकुंतला – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

490. आकाश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

491. अनिल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

492. मनोज – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

493. निलांबर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

494. शंकर, पूंजीपथरा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

495. रामूदास – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है और समर्थन इसलिये करता हूँ कि कोविड के समय में हमारे गाव के लोगो को रोजगार दिया।

496. राखीराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

497. प्रसाद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

498. विचित राम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

499. मून्ना – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

500. रामप्रसाद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

501. रोहित कुमार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

502. रमाशंकर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

503. लोकेश, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। कोरोना के समय हमारे गांव के लोगो को रोजगार दिया।

504. बिरेन्द्र – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

505. बसंत – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

506. आदित्य – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

507. मदन – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

508. अजय – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

509. लक्ष्मीप्रसाद, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

510. राजा सोनी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

511. प्रमोद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

512. आनंद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

513. हेमंत – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

514. अजय कुमार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

515. हेमराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

516. दिनेश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

517. ओमप्रकाश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

518. लिलाधर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

519. केशव – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

520. चमरू – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

521. मनीराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

522. संतोष, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

523. प्रेमप्रकाश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

524. रिशिकेश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

525. लाभोराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

526. राजू, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

527. धनीराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

528. छबीलाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

529. सुमन – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

530. संतोष – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

531. कस्तुराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

532. सतबिर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

533. निर्मल, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

534. रामलाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

535. प्रेम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

536. सागर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

537. लालू – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

538. विकास – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

539. शहद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

540. प्रमोद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

541. दिलेश्वर, कोरबा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

542. विनय – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

543. शिवकुमार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

544. राकेश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

545. निराकार, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

546. हरसाय – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

547. बंशीधर, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

548. अमित कुमार, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

549. कमलेश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

550. दयामती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

551. आरती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

552. मालती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

553. गंगा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

554. कमला – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

555. लक्ष्मीन – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

556. दुलेश्वरी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

557. कुमारी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

558. गोमती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

559. सुखवारू – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

560. सरस्वती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

561. कुंती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

562. बुधियारी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

563. धनमती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

564. रूपकुमारी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

565. पार्वती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

566. मोनिका – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

567. रितु – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

568. श्याम बाई – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

569. सीता बाई – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

570. कुंती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

571. केकती, गदगांव – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

572. मीरा बाई – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

573. गंगा बाई – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

574. फुलकुंवर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

575. तिहारी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

576. कांति – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

577. धनमती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

578. मीना – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

579. बालमती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

580. गायत्री – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

581. करमवति – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

582. किशोर, गेरवानी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

583. उमाशंकर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

584. दिवाकर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

585. सजन राठिया – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

586. मेलाराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

587. भुवनेश्वर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

588. प्रमोद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

589. राम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

590. अक्षय – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

591. सुमित – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

592. विजय – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

593. सौरभ, सराईपाली – इस प्लांट के अलावा भी कई सारे प्लांट हमारे गांव में है और चिजो को पुरा कर रहे है। हमारे गांव में एक समुह है उनके तरफ से मैं समर्थन करता हूँ।

594. तपेश्वर, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

595. अनिल राठिया, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

596. चंद्रहास – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

597. सुनिल कुमार, रायगढ़ – कंपनी कोरोना काल में हम लोगो का सपोर्ट की है और सभी को फुल पेमेंट दिये और घर में भी जाकर देते थे। दूसरे जगह कंपनी नहीं होने से लोग दूसरे जगह जा रहे है। छोटे लोगो का कारोबार भी यहा बहुत अच्छा चल रहा है, मेडिकल का भी ध्यान दिया जा रहा है। श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

598. दीपक, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

599. अनुराग – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

600. जयप्रकाश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

601. कार्तिकेश्वर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

602. अंजनीमती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

603. जयंत बहिदार – भारत सरकार का ये अधिसूचना है जो 14 सितम्बर 2006 को जारी हुआ और ये जो जनसुनवाई होती है ये इसी नोटिफिकेशन के आधार पर होती है और उसमें स्पष्ट लिखा है परिशिष्ट–4, पैरा 7 देखिये उसमें स्पष्ट कहा है कि जनसुनवाई अगर किसी कारण से स्थगित होता है तो पैरा 3.4 उपर अपवादित परिस्थितियों में केवल जिला मजिस्ट्रेड के परामर्श से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्यों द्वारा लोकसुनवाई के लिये नई तारीख, समय और स्थान का निश्चय किया जायेगा और ऊपर 1.3 पैरा के अधिन प्रक्रिया के अनुसार नये सिरे से अधिसूचना जारी किया जायेगा। आप उसको गौर करे जो सूचना जारी किया है पर्यावरण विभाग के सदस्य सचिव ने उसको 01 माह का समय नहीं दिया है, उसमे है 30 दिन का समय दिया जायेगा, वो जल्दी किया 15 दिन के अंदर में पर्यावरण विभाग ने अपना सुझाव, आपत्ति, टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिये बोला है देखीये जांच कराईये और इसमें ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति जो जनसुनवाई में उपस्थित है उसको ये हक है कि आपसे से भी प्रश्न करने का और आवेदक है, प्रतिनिधि है उससे भी, आप पुछिये जो सुचना प्रकाशित हुआ है,

लोकसुनवाई की सूचना वो किस तारीख को हुआ, 01 माह से भी कम समय में जारी हुआ है और 15 दिन का समय दिया है तो ये इस बिंदु के अनुसार ये लोकसुनवाई अवैध है, इसको यही रोक देना चाहिये। हमारा यह कहना है 45 दिन में जनसुनवाई पूरी होनी थी पहली बार जब जुलाई में जब होना था परन्तु नहीं कर पाया तो उसका मतलब है कि इस लोकसुनवाई के लिये किसी दूसरी एजेंसी को देना चाहिये जबकि पर्यावरण विभाग स्वयं ये दूसरी बार फिर आयोजन कर रहा है ये भी गलत है इसमें लिखा हुआ है इसमें दिया है पढ़िये जो 04 पेज मैं आपको दिया हूँ उसमे देखीये। पर्यावरण सुरक्षा के लिये केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने ये सूचना जारी किया है की 30 जून 2022 तक जितने लोग भू–जल लेते है वे सब लोग लाईसेंस ले, परन्तु इस फैक्ट्री ने अभी तक लाईसेंस नहीं लिया है इसलिये इस फैक्ट्री को बंद किया जाये, जब वो लाईसेंस ले लेगा, प्रक्रिया पूरी करे सरकार की तब चालु करना चाहिये। जब ये जनसुनवाई होने वाली थी 06 जुलाई को उससे पूर्व हमने आपत्ति किया था और उसका पावती भी है, हमने बताया है कि इनके पास अभी मौजुदा संयंत्र में 11.141 हेक्टेयर भूमि है इनके पास जो पुराना अभी संचालित है उसमें है और प्रस्तावित परियोजना के विस्तार के लिये अतिरिक्त 21.749 हेक्टेयर भूमि का उल्लेख इन्होने किया है, इस तरह से कुल 32.89 हेक्टेयर भूमि होगी और जो पहले से संचालित है जिस जमीन पर 11.141 हेक्टेयेर वो भूमि का भी डायवर्सन नहीं हुआ है फिर फैक्ट्री कैसे चल रहा है इसको इसलिये मेरा अनुरोध है आपसे कि इसको यही पर रोक दिया जाये स्थगित कर दिया जाये आपको पूरा अधिकार है अगर कानून का पालन इस फैक्ट्री वाले ने, संचालक ने, मालिक ने नहीं किया है तो तत्काल इसको रोक दिया जाये और उसके बाद सुधार अगर कर लिया जाये शासन के नियमों, शासन के गाईडलाईन का तब फिर ये चालू कर सकता है, और हमारा कहना है कि जो इन्होने प्रस्तावित परियोजना के लिये जो भूमि का उल्लेख किया है 21.749 हेक्टेयर भूमि उसमें सरकारी राजस्व जो अभिलेख है उसमें कृषि भूमि दर्ज है, डायवर्सन नहीं हुआ है और 20.798 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व भी ये कंपनी नहीं है हो सकता है किसानो के नाम पर दर्ज है मैं आपको बताउंगा अभी, अगर कानून के तहत कंपनी बना है, फैक्ट्री संचालित हो रहा है तो कंपनी के नाम पर जमीन होना चाहिये, किसी किसान के नाम पर आप कैसे स्थापित कर सकते हो जिसका डायवर्सन भी ना हो। इन्होने बताया है उसी जमीन में खसरा नंबर 49.1 रकबा 7.115 मेसर्स गणेश लक्ष्मी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सराईपाली के नाम पर है, इसमें श्री रूपानाधाम स्टील पॉवर प्लांट के नाम पर नहीं है, खसरा नंबर 49/2, 4.051 हेक्टेयर जमीन वो भी गणेश लक्ष्मी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटे के नाम पर है। खसरा नंबर 40, 2.156 रोहतास के नाम पर है बरपाली गांव का, 44/1, 3.339 बिहारीलाल ग्राम–सराईपाली के नाम पर है, खसरा नंबर 44/2, 3.338 बांक्षानिधी वो एक सामाजिक, राजनैतिक कार्यकर्ता है उनके नाम पर है, हो सकता है उन्होने खरीद लिया हो परन्तु नाम अभी भी बांक्षानिधी के नाम पर है, खसरा नंबर 48/1, 0.799 संतोष, पिता रत्थुराम एवं अन्य सराईपाली के नाम पर दर्ज है। इस तरह

परियोजना प्रस्तावक ने भूमि के मामले में झुठी जानकारी दिया है और कैसे आप इस कंपनी को विस्तार करने की अनुमति देंगे। ये कंपनी जो संचालित है इसके रिकार्ड के अनुसार भले ही इससे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, अगर विस्तार होता है तो 4–5 गुना ज्यादा क्षमता बढ़ जायेगी इसकी, कितना प्रदूषण होगा? आदरणीय कलेक्टर महोदय अभी हम रायगढ़ से आये है इतनी धुल उड़ रही है सड़क दिखाई नहीं दे रहा है, आप किसी दिन साईकिल, मोटरसाईकिल में आकर दिखाये, आप तो बंद गाड़ी, ए.सी. गाड़ी में आते है आपको क्या पता चलेगा और कलेक्टर की गाड़ी आती होगी तो शायद डंफर को भी पुलिस वाले रोक देते होंगे। आप साधारण नागरिक बनकर यहां आईये, ईधर के गांव वाले जो आदिवासी क्षेत्र है यहां के गांव के मजदूर, किसानों का जीना किस तरह बदहाल हो गया है देखीये किस तरह ये लोग परेशानी में जीवन गुजर कर रहे है और मैने पर्यावरण विभाग से जानकारी मांगा था नहीं दिया इन्होने। प्रस्तावित परियोजना के लिये शासन के वन विभाग के पी.सी.सी.एफ. का एप्रुवल और रिकम्डेशन लेटर भी नहीं है इनके पास। मैने मांगा तो बोले नहीं इसकी जानकारी नहीं देंगे। मौजुदा संयंत्र और प्रस्तावित क्षेत्र की सीमा से आरक्षित वन, हमारा यह क्षेत्र जंगल का क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र है, आरक्षित वन तथा संरक्षित वन की जो सीमा है उस प्लांट की सीमा से 01 किलोमीटर से कम है, बहुत ही कम है। पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार वन मंत्रालय ने निकाला है कि 01 किलोमीटर से अधिक दूर होना चाहिये नहीं तो परियोजना को बंद कर दिया जाये ये बात भी नोट करेंगे। मैने 04 जुलाई 2022 पर कम्प्लेन किया इससे पहले 24 जून को भी एक शिकायत किया था और उसमें हमने बताया था आप देखेंगे हमने कॉपी दिया है, मेरे शिकायत का बिन्दु नंबर 02, 24.06 को जो मैने कम्प्लेन किया था, प्रस्तावित परियोजना के लिये भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा टर्म ऑफ रिफरेंश जो टी.ओ.आर. जारी हुआ था वो 24.11.2021 को जारी किया गया था, परन्तु परियोजना के लिये पर्यावरणीय अध्ययन जो डाटा कलेक्शन इन्होने किया है कंपनी के कंसलटेंट ने वो 10 दिन पूर्व जारी कर दिया। भारत सरकार द्वारा जारी नहीं हुआ था और पहले चालु कर दिया वो भी गलत है और आपको मैने जमीन के बारे में बताया है। ग्राउण्ड वाटर का भू–जल लेने के लिये अनुमति भी इन्होने अभी तक नहीं लिया है नये अध्यादेश के अनुसार केन्द्र सरकार के। लोकसुनवाई की परियोजना स्थल आपको मालुम है सर ये जो परियोजना है ग्राम–सराईपाली में और यहां जनसुनवाई हो रही है, कितनी दूर में जनसुनवाई हो रही है, क्यों हो रही है आप बताईये, आप तो नये है बताईये, क्या बताया पर्यावरण अधिकारी ने आपको, क्यों हो रहा है यहां और कल आप सुनवाई करेंगे बांके बिहारी प्लांट का उसको भी यहां करेंगे इसकी दूरी यहां से कितनी है और सराईपाली तो और दूर है और इस भारत सरकार के 24 सितम्बर 2006 के अधिसूचना में ये स्पष्ट लिखा है कि लोकसुनवाई परियोजना स्थल या स्थलों के निकट परिसर में अगर अंतर्राज्यीय कंपनी है जहां 02 राज्यों या 03 राज्यों में उसका विस्तार है तो वो जिला स्तर, जिलावार उसी स्थान पर होगा जहां परियोजना स्थल है, ये लिखा है। परिशिष्ट 4 के पैरा 7

देखीये जिसमें लोकसुनवाई संचालित करने की प्रक्रिया का बिंदु 01 में देखीये और मैं तो ये कहुंगा कि जब प्रत्येक आपत्तिकर्ता को यहां पर अगर अधिकार है तो फैक्ट्री संचालक या आवेदक है उनसे जवाब चाहता हूँ कि ग्राउण्ड वाटर के लिये भारत सरकार के केन्द्रीय जल प्राधिकरण से अनुमति लिया है तो उसकी कॉपी चाहिये मुझको, अभी दिखाये और हमारे कलेक्टर महोदय को दिखाये उसको और जो जमीन का डायवर्सन नहीं हुआ है अगर डायवर्सन हुआ है और कंपनी के नाम पर प्रस्तावित जो विस्तार हो रहा है अभी जमीन के लिये और जहा पर ये संचालित है 11 हेक्टेयर में वो क्या सब कंपनी के नाम पर है उसका डायवर्सन हो गया है तो उसकी भी जानकारी कलेक्टर महोदय को दे और मेरे को भी दे मैं ये दोनो चीजे मांग रहा हूँ। ग्राउण्ड वाटर पानी लेने का लाईसेंस और जमीन का वैध कागजाद मांगिये साहब ये अधिकार है मेरे को मैं मांग रहा हूँ, ये अधिसूचना के अनुसार मेरे को अधिकार है। इसमे लिखा है परिशिष्ट 04 में बिंदु क्रमांक 6.4 के अंतर्गत स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया जायेगा तो अभी मेरा अवसर लगा है। आदरणीय महोदय बुलाईये फैक्ट्री संचालक या उसके आवेदक को और उससे जानकारी मांगीये कोई मैं अवैध चीज नहीं मांग रहा हूँ, करोड़ो, अरबो गैलन पानी कंपनी चोरी कर रहा है आपका प्रशासन देख रहा है, क्या कर रहा है। प्रशासन इतना पंगु मत बने, ये अच्छा संदेश नहीं जाता, इसलिए समाज में फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले और सरकार के साठ–गाठ के कारण भी समाज में हिंसा होती है। अगर आदिवासी क्षेत्र में नक्सली समस्या है तो वो आपके कारण है, कानून ने मुझे अधिकार दिया है मांगने का फैक्ट्री वाले को बुलाईये स्पष्टीकरण दीजिये। आप लोगो के कारण देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है, जमींदारो, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया और गरीबो का शोषण हुआ, आदिवासियों का शोषण हुआ, किसानों का शोषण हुआ इसके कारण हिंसा बढ़ रहा है, मेरा यह स्पष्टीकरण है और हमारे जैसे गांधीवादी लोग विरोध करते रहते है, मगर सुनवाई नहीं होती। आप पहली बार आ रही है रायगढ़ जिला के जनसुनवाई में आप इस बात की क्यों ढिलाई कर रही है, अधिसूचना की अवहेलना कर रहे है, कानून के तहत भारत सरकार ने जारी किया है और इसी के तहत जनसुनवाई होनी चाहिये। आज आप जनसुनवाई स्थगित नहीं करेंगे तो कल क्या करेंगे, कल भी यही समस्या है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ इसको बुलाईये और उनके पास सही जवाब नहीं है तो तो स्थगित करीये। ऐसा हमारे यहा पूर्व में कलेक्टर आये थे डॉ. राजू उन्होने भी कैंसिल किया था, इसी तरीके से फैक्ट्री वाले ने जवाब नहीं दिया था और गैर कानूनी तरीके से संचालित कर रहा था फैक्ट्री। हमारा कहना है ये फैक्ट्री गैर कानूनी तरीके से संचालित हो रहा है। अगर 1000 पुलिस यहां है तो फैक्ट्री के लाभ के लिये है, फैक्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिये है। मैं हटने वाला नहीं हूँ सर, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ वो आप को भी मालूम है और पर्यावरण अधिकारी को भी मालूम है, केन्द्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश भर के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिये उन्होने रेड जोन घोषित

किया है उसमें रायगढ़ जिले का ये सराईपाली, तराईमाल, बंजारी, गेरवानी, पूंजीपथरा इलाका रेड जोन में आता है, निकालिये रिकार्ड और बोलिये मैं गलत हूँ तो फिर कैसे ये जनसुनवाई विस्तार करने के लिये हो रहा है, फैक्ट्रीयों को बंद करने का समय आ गया और आप इसको विस्तार करने की अनुमति दे रहे है, और बढ़ाने के लिये, और प्रदूषण फैलाने के लिये। मैं कानून के तहत मांग रहा हूँ, आप स्पष्टीकरण दे हम चले जायेंगे। भारत सरकार के कानून के तहत और उसने यह अधिसूचना जारी किया, नियम बनाया उसका पालन नहीं हो रहा है, खुले आम धज्जियां उड़ रहा है और आपके सामने ये कोर्ट में जायेगा बात, थाने आपके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज कराउंगा। मैं दुःखी होकर आप दोनों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराउंगा, इस पर आप कार्यवाही नहीं कर रहे है इसलिये। मुख्यमंत्री के खिलाफ में एफ.आई.आर. दर्ज होना चाहिये, एक नंबर का भ्रष्ट मुख्यमंत्री आ गया है, और मैं आपको जानकारी दे दूँ मैं कांग्रेस का जिला मंत्री भी हूँ फिर भी बोल रहा हूँ वो चोर है भ्रष्ट है, जो सच्चाई है, गिरवी रख दे क्या अपने आप को कांग्रेस में है तो, जो गलत होगा उसका विरोध करेंगे, भ्रष्ट है, चोर है मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, नाम भी ले देता हूँ भुपेश बघेल। आप अगर मेरी मांग पर कार्यवाही नहीं करेंगे, कल से मुख्यमंत्री को गरियायेंगे चौक में, आज से गरियायेंगे दोष आपको लगेगा आपका ट्रांसफर होना ही है रायगढ़ से। अगर हम पिछे पड़ गये तो आप तो गये नये–नये आकर, साहू जी आप भी जाओगे। जो प्रदूषण फैलायेगा, हमारे समाज का बुरा करेगा, जो बीमारी बाटेगा, दुर्घटना बाटेगा, लोगो की मौत होगी तो क्या हम दुश्मन नहीं होंगे क्या उस आदमी के। चारा घोटाला बिहार में हुआ था लालू जेल में रहे, ये गोठान, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी ये 5000 करोड़ का घोटाला होगा, जॉच कर लेना वो तो 500 करोड़ के घोटाले में गया था। हम भी किसान घर के है, भले ही 1.5 एकड़ है। पूरे छत्तीसगढ़ का सड़क खराब हो गया है, पूरे भ्रष्टाचार में गंगा बह रही है छत्तीसगढ़ सरकार में, चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में शामिल है। फैक्ट्री वालो से ट्रेनिंग मत लीजिये, सरकार आपको ट्रेनिंग दिया है कानून का पालन कराने के लिये। नोटिफिकेशन के एक बिंदु का भी पालन नहीं हो रहा है, एकदम से गैरकानूनी तरीके से फैक्ट्री को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये जनसुनवाई के लिये जो सूचना प्रकाशित हुआ आप उसको देखीये किस तारीख को हुआ, किस अखबार में हुआ, लोकल अखबार में हुआ जिसका प्रसार जिले भर में है, मांगिये ना सर आप उनको मांगते क्यों नहीं हो। मैं तो कहता हूँ कि आज की लोकसुनवाई का प्रकाशन ही नहीं हुआ है और हुआ भी है तो जिले के बाहर के जो जिले में वितरण नहीं होते, फैक्ट्रियों में आते होंगे, जिंदल फैक्ट्री में, बांके बिहारी में, रूपानाधाम में, सिंघल में नलवा में इन लोगो में आता होगा अखबार देखीये एक बार पता तो लगाईये, किसी को मालूम नहीं है जनसुनवाई हो रही है। वो तो इतने लोग इसलिये आ गये फैक्ट्री वाले ने उठा–उठा कर लाया है। अभी मेरे से पहले एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ी गीत सुनाया कि दो–दो सौ रूपये में जनसुनवाई में आये है इन्ही के साधन में आये है। वो पूरी इस जनसुनवाई के लिये तमाचा है, एकदम हकीकत है, प्रासंगिक है वो

कविता और वो गीत, पूरा लागु होता है आज की जनसुनवाई में, वो तो गांव वालों को इकट्ठा करके फैक्ट्री वाले ले आये नही तो 25 लोग नहीं रहते, क्योंकि प्रचार तो हुआ ही नहीं है। अपना समर्थन करने के लिये ले आये उठा कर आप नहीं महसुस कर रहे है क्या, क्या नौकरी करेंगे आप लोग, समझ में नहीं आता है। पर्यावरण विभाग अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाता है। फैक्ट्री वाले डबल लाईन लगा कर घुस रहे थे मेरे सामने इसलिये मेरे को एक घंटा लग गया आने में। सर मैं आपसे फिर हाथ जोड़ता हूँ, पर्यावरण अधिकारी महोदय आप जानकारी दीजिये क्योंकि आप शुरू से पढ़ रहे है इस नोटिफिकेशन कानून को, सर पर्यावरण अधिकारी का गुलामी मत कीजिये, रिकार्ड मांगिये उसके पास नहीं तो बंद कर दीजिये, झुठा बयान करके बचने की कोशिस मत कीजिये, जायेगा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला। ना तो भारत सरकार के अधिसूचना 2006 का पालन हो रहा है, ना तो टी.ओ.आर. का पालन आप लोग कर रहे है, ना कानून का पालन कर रहे है, ना केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का पालन कर रहे है, क्यों फैक्ट्री से इतना डरते है। गोद में लिया है क्या? भुपेश बघेल, मुख्यमंत्री इन कंपनियों को, शोषण करने के लिये जनता का। आदिवासी क्षेत्र है ये, आदिवासी क्षेत्रों में लुट मचा रखा है इन फैक्ट्रियों ने, कंपनियों ने और सरकार देख रही है और ये आदिवासी मौन है। मैं पीठासीन अधिकारी महोदय और पर्यावरण अधिकारी महोदय से उम्मीद करता हूँ कि मैने जो जानकारी मांगा है, कंपनी के जमीन का मालिकाना हक और केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण का लाईसेंस ये सब चीजे आप मेरे को उपलब्ध करायेंगे। अगर इनके पास वैध कागज नहीं होगा तो स्थगित करेंगे जनसुनवाई, बोलिये इसको।

604. कांति – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
605. चंपा, गेरवानी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
606. लक्ष्मीन – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
607. जमुना – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
608. लक्ष्मी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
609. ब्रिंदा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
610. सुनाई – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
611. लीला – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
612. राधा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
613. नवधा बाई – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
614. गुरबारो – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
615. धनमति – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
616. आरती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

617. नंदनी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

618. संतोषी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

619. धरममति – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

620. सरस्वति – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

621. राजकुमारी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

622. मनीषा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

623. सविता रथ, – पीठासीन अधिकारी महोदय से मेसर्स रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड के स्टील संयंत्र के विस्तार के लिये जो आज जनसुनवाई बंजारी मंदिर के समीप, ग्राम–तराईमाल में किया जा रहा है 02.11.2022 को इस जनसुनवाई की कुछ मुख्य बिंदुओं पर इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करने का अपसे अपील कर रही हूँ। इस जनसुनवाई की सूचना किसी भी यह जो क्षेत्र है पेशा कानून क्षेत्र लागू है, छत्तीसगढ़ पेशा कानून और 1996 का केन्द्रीय पेशा कानून लागू है और यहां ग्रामसभा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निभाती है, ग्रामसभा तक इस उद्योग के विस्तार की ई.आई.ए. नहीं पहुची है। जो ई.आई.ए. की हम बात कर रहे है उस ई.आई.ए. को बनाने में कितना दिन लगा, क्या लगा, कैसे लगा हमको नहीं मालूम, हमारे हाथ में किसी किस्म की सूचना नहीं मिली है। तो बिना किसी पर्याप्त सूचना के एक माह से जो मुनादी होनी चाहिये, ढिंढोरा पिटवाना चाहिये, नोटिस चिपकवाना चाहिये और जिस मूल मुद्दो में, पर्यावरणीय मुद्दो में जो बात लोगो को रखनी चाहिये उनको वास्तव में तकनिकी बिंदु में जिस बात के लिये ये पर्यावरणीय जनसुनवाई रखा गया है उन जनसुनवाई में ना तो लिखित में ना मौखिक में जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी किस्म की उनको जानकारी नहीं होने से अभी तक की जितनी भी महिलायें समर्थन या विरोध जो भी किये है, आप देखेंगे विरोध किये है तो क्यों किये है और समर्थन कर रहे है तो क्यों कर रहे है, इस कारण को वो स्पष्ट नहीं बता पा रही है। कारण यही है कि इस जनसुनवाई को व्यापक पैमाने पर कोई प्रचार–प्रसार, स्थानीय न्यूज में या समाचार पत्रों में, स्थानीय भाषा में ई.आई.ए. या ई.आई.ए. की समरी जो होती है हिन्दी में, वो हिन्दी नहीं किया गया है। यहां की साक्षरता दर को देखते हुये मौखिक जो डुगडुगी पिटवाना, पेशा ग्रामसभा से जो 50 प्रतिशत महिलाओं की हिस्सेदारी होनी थी वो ग्रामसभा की अनुमति इस जनसुनवाई की नहीं है। उसके तहत पेशा ग्रामसभा के कानून का सीधा उल्लंघन ये जनसुनवाई करवाता है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी जिला प्रशासन का अमला जहां आकर बैठा है वो भी बिना पेशा ग्रामसभा के अनुमति के किसी भी जनसुनवाई का आयोजन बाहरी लोगो का यहा दखल नहीं करवाया जा सकता। किसी भी किस्म के तराईमाल के जो ग्रामपंचायत है उनके द्वारा कोई अनुमति नहीं दिया गया है ग्रामसभा को कि आप जनसुनवाई को करवाईये। आप ई.आई.ए. पढ़े होंगे लेकिन हम ई.आई.ए. को नहीं पढ़े है। हम केवल मूल बिंदु सामान्य जनसुनवाई की प्रक्रिया को किस संदर्भ में

किया जाता है अब तक के आपसे पहले जिला प्रशासन के द्वारा जनसुनवाईयां अभी तक कराते रहे है चाहे निजी कंपनी की हो, चाहे सरकारी कंपनी की हो उनके कार्यप्रणाली को शायद आप लोगो को देखने की जरूरत है और उनके अनुभव को आत्मसात करने की जरूरत है किसी भी जनसुनवाई को कराने से पहले पेशा कानून के अधिकारो का उल्लंघन कर नहीं सकते है इसलिये भी यह जनसुनवाई अपने आप में अनलिगल है और इस जनसुनवाई को मेरी आपत्ति के बाद तत्काल निरस्त कर दिया जाये ये मेरा प्रथम आपत्ति है। इसके बाद पुनः ई.आई.ए. बनाने का नोटिफिकेशन जारी कीजिये। ई.आई.ए. बनेगा उस ई.आई.ए. में पेशा ग्रामसभा की अनुमति अनिवार्य है क्योंकि जब तक आप ई.आई.ए. बनायेंगे उसके साथ आपको एस.आई.ए. मतलब सोशल इंपेक्ट असिसमेंट रिपोर्ट आपको उसमें सबमिट करना होगा, वो सोशल इंपेक्ट असिसमेंट रिपोर्ट जो हिंदी में बोलते है उसको सामाजिक प्रभाव आकलन की इस उद्योग के विस्तार से रूपानाधाम के विस्तार से इस समाज को क्या प्रभाव पड़ेगा। यहा की जो आंगनबाड़ियां है, आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे, गर्भवती महिलाये, शिशुवती महिलाये, जो किशोरी बालिकाये है जिनके सामने उनके जीवन का भविष्य है इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में उन महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कब कराया गया है जब ई.आई.ए. बना है, एस.आई.ए. बना है। तो बिना ई.आई.ए., एस.आई.ए. बनाये तो सार्वजनिक कराना भी जरूरी नहीं समझे है तो काहे का जनसुनवाई करवाना। हालांकि आपको कुछ बिंदु, नियम इसको क्यों ना आज जनसुनवाई निरस्त होनी चाहिये और नये सिरे से इस जनसुनवाई की प्रक्रिया को लेकर आगे लेकर जाने की जरूरत है उसका कारण आपको बता रही हूँ कि केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना 14 सितम्बर 2006 के अनुसार किसी भी पर्यावरणीय जनसुनवाई हेतु आवेदन के 45 दिवस के अंदर राज्य सरकार को यह पर्यावरणीय जनसुनवाई करवा लेनी चाहिये, चुंकि यह जनसुनवाई आज हो रही है ये लगभग 06 महिने की पहले की प्रक्रिया में चला है और यह 45 दिवस के बाहर हो जाता है तो पुनः जनसुनवाई की प्रक्रिया में इसको आना चाहिये नियम और कानून के तहत एक इसको आपको जनसुनवाई को आयोजन करवाना चाहिये तो जब 45 दिवस आपकी खत्म हो गई तो जनसुनवाई करवाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता उस स्थिति में इस जनसुनवाई को तत्काल प्रभाव से आप निरस्त करें, लोगो को समझाये की किस बात की यह जनसुनवाई होगी, किस बात का विस्तार होगा, पूर्व में इस उद्योग के क्या–क्या कामो की जो अटकी हुई चिजे है, चाहे जमीन के मामले की बात हो, चाहे जो भी इनके तकनिकी रूप से दिक्कते है वो सब का निराकरण शिविर लगा के आप पहले कीजिये फिर इसकी जनसुनवाई की विस्तार कीजिये। ऐसे जनसुनवाईयों का जो पूरी तरीके से 14 सितम्बर 2006 के कानून का उल्लंघन करता है, पेशा कानून का उल्लंघन करता है ऐसे जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करके नये सिरे से इसकी तैयारी करनी चाहिये। वही एक सबसे बड़ी आपत्ति है कि जहां ये रूपानाधाम स्टील है जिसकी विस्तार आप चाह रहे है यह परियोजना स्थल से 10 किलोमीटर दूर आप ये जनसुनवाई कर रहे है, वास्तव

में ये जनसुनवाई परियोजना स्थल के ऊपर ही करानी चाहिये थी, तो आप कृपया अबकी बार जनसुनवाई करवाये तो सराईपाली, देलारी जगह को चुने ये स्थल वास्तव में उन मूल जो प्रभावित समुदाय है उनके लिये आना–जाना मुश्किल है और जो आयेंगे महिलाये चाहे उनके स्कूल में पढ़ने वाले मिड–डे मिल की बात कर लीजिये, आई.सी.डी.एस. की बात कर लीजिये, पी.डी.एस. की बात कर लीजिये, वहा पर कितना हेक्टेयर कृषि जमीन प्रभावित हो रहा है, कितना वन भूमि प्रभवित होगा, अगर आप जनसुनवाई की बात कर रहे है। आपको बता दूं हम जहां जनसुनवाई करवा रहे है यह क्षेत्र सामुदायिक वन अधिकार के तहत पट्टा मिला हुआ एरिया में आप बैठे है, आप अपना लिस्ट देखीये कि सी.एम. साहब ने गोदा जंगल और आपका पड़कीपहली जंगल का सामुदायिक वन अधिकार दिया हुआ है जहां पर इस तरीके की आयोजन जनसुनवाई करवाना निहायती कहना चाहिये मुझे बहुत निराशा होती है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती लेकिन ये वास्तव में अच्छा है क्या, आप 2006 के हक का कानून का एक अलग कानून के तहत उसको खत्म कर दे। आपको बता दूं इस जंगल में सामुदायिक वन हक का जो ये जंगल है इन जंगल में तमाम तरीके की जैव विविधता के साथ–साथ जमीन के अंदर के कंदमूलो के साथ–साथ कई किस्म के यहां बड़े जानवर, हिंसक जानवर, हाथी, भालू और खरगोश, हिरण जैसे जानवर है जिसका बोर्ड वन विभाग ने लगा रखा है तो वन विभाग कैसे आपको अनुमति दे दिया। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कैसे यहां का कुछ तो डेटा गया होगा और डेटा कब कलेक्ट किया गया उस डेटा को हम आपसे पुछ रहे है। आपको बता दूं कि ये जो पूरा क्षेत्र है अनुसूची पेशा क्षेत्र है ग्रामसभा के अधिकारो में, किस तरीके से कोई उद्योग खलल दे सकता है उसका सीधा–सीधा ये नमूना है। आपको बता दूं कि अभी हम आपके यहां जनसुनवाई के लिये आ रहे थे हम तमनार में रहते है। तमनार से यहां तक आने की जिस स्थिति में सड़क की हालात है और जिस हालात में हम आप तक पहुंच पाये है वो हमारा सौभाग्य है, माता–पिता का आशिर्वाद है तो आपको बता दूं कि आपने सुना होगा कि हिटलर ने भी केवल जीने को ही विकास बोला था तो अभी तो हम आप–तक पहुंच गये है उसी को आपके उद्योग और आपके प्रशासन के विकास समझ के आज जिंदा आपके सामने खड़े है तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस कल हुआ और उसके बाद आदिवासी नृत्य आप करा रहे है एक तरफ आप आदिवासियों के नृत्यों को आप वहां नचा रहे है, एक तरफ आप विस्थापन और उसके बाद यहा के जो आदिवासी है उनको नचाने के लिये, जगह से जगह हटाने के लिये ये जो दिन ब दिन आप जनसुनवाई करवा रहे है, पर्यावरणीय ई.आई.ए. का कोई ठिकाना नहीं है, खुद पढ़ा नहीं है, कोई इस ई.आई.ए. पर बात करे तो ये ई.आई.ए. बाटा नहीं गया है, प्रचार–प्रसार नहीं किया गया है तो उस आधार में ऐसे जनसुनवाई को रखने की क्या आवश्यकता है मेरे समझ से बाहर है, तत्काल इस जनसुनवाई को कम से कम महिलाओं के हितो के, स्वास्थ्य और स्थायी रोजगार के अलावा जो वनोपज संग्रहण उनके खत्म हो रहे है जंगल खत्म होने से उन चीजों को खत्म करने के लिये आपसे

अपील करती हूँ और ये जनसुनवाई निरस्त हो। आपको बता दूं कि सिलिकोसिस बीमारी जहां पर ये उद्योग स्थापित है वहा सिलिकोसिस बीमारी है और वहां पर आपको बता दूं कि वहा भुईकुर्री जंगल का भी जो सामुदायिक वन हक पट्टा मिला हुआ है आप लिस्ट चेक कीजिये तो जहां–जहां सामुदायिक वन हक का पट्टा का सेटलमेंट आप नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी नई परियोजना को आप इसमें शमिल नहीं कर सकते है और ना ही आप किसी भी नई परियोजना को विस्तार दे सकते है। आपको बता दूं कि भू–जल स्तर की बाते जो मेरे से पूर्व वक्ता बोल कर गये है वाकई आप भू–जल स्तर का पी.एच.ई. विभाग से डेटा ले लीजिये, सारे जो उद्योग चल रहे है ये मूल रूप से कहां से पानी लायेंगे नहीं मालूम, फ्लाई ऐश कहा डालेंगे, फ्लाई ऐश डाईक नहीं है, नहीं मालूम, करवा दे रहे है जनसुनवाई, किस बात की जनसुनवाई जब व्यापक होमवर्क नहीं है, जब वो उद्योग संभाल नहीं पा रहा है, सड़क दुर्घटना की जब आप हालात देख रहे है और पूरे इंडिया में रायगढ़ प्रदूषण के मामले में सबसे उच्चस्तरीय जा रहा है, कई बड़ी गंभीर बीमारियां देखा जा रहा है, चाहे बौनापन का हो चाहे स्तनधारी जीवो की बीमारी की बात हो तो इस स्थिति में ऐसे जनसुनवाईयों को बिना जांच करे, बिना ई.आई.ए. को अच्छे से पढ़े हुये, बिना ग्रामसभा से अनुमति प्रस्ताव किये हुये, बिना सामुदायिक प्रभाव आंकलन को जाने हुये, उस समाज के हक को बिना जाने हुये आप कैसे इस जनसुनवाई को करवा सकते है। अतः इस जनसुनवाई की मैं भरपूर निरस्त करने की मांग करती हूँ। आपको बता दूं कि वायुमंडल में कार्बन–डाई–आक्साईड एवं कार्बन–मोनो–आक्साईड जैसे ग्रीन हॉउस गैसो के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग तथा प्रदूषण से लोगो के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ना, ऐसे ही उद्योगों को सतत् आप लोग स्वीकृति दे रहे है ये सबसे बड़ा चीज है जलवायु परिवर्तन के कारण जो चाहे फसलों का नुकसान हो चाहे मौसमी बीमारियां हो, चाहे यहां के इंसान है, चाहे जैव विविधता है खत्म होने की बात है ऐसे बिना पढ़े ई.आई.ए. बिना सोचे समझे जनसुनवाई के कारण हो रहा है, वहीं कृपया करके राजस्व विभाग ये देख ले 170ख के कितने जमीने लगी हुई है तो कृपया वो ट्राईबल जमीन है कृपया उसको भी देख लेंगे, मेरी बात रखना था और इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करने की जरूरत है। ऐसे उद्योगो को विस्तार ना दिया जाये जिनके खिलाफ अभी जांच रखी हुई है या कोई आवेदन लग रखा है तो पहले पूरा जांच किया जाये और जितनी भी जो तमनार की आदिवासी महिलायें है, सर्व आदिवासी समाज है जो वनों पर जीवित है, वन संसाधन उनका आजीविका है उसको खत्म ना करें और किसी जनसुनवाईयों को विस्तार ना दें।

624. बाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। सभी यहां भाषण दे रहे है लेकिन कोई बच्चे लोग को नहीं देख रहा है कि वह भुखा मर रहा है। यहां का सड़क आप लोग देख ही रहे हैं। अगर कोई बीमार है तो अस्पताल जाते–जाते मर जायेगा।

625. राधेश्याम शर्मा – आज दिनांक को जो मेसर्स रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का जनसुनवाई हो रहा है तो जनसुनवाई की प्रक्रिया पहले हम लोगो को समझना पड़ेगा की जनसुनवाई काहे करवाना पड़ता है, क्या ऐसे फैक्ट्री लग नहीं सकता, जिसको मन लगा फैक्ट्री वाला फैक्ट्री लगाये और सरकार उसका सहयोग करें। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत चलता है और संविधान के अनुच्छेद 48 में पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिये गहरा चिंतन व्यक्त किया गया है जिसके लिये समय–समय में कानून सरकार बनाता है। संसद में जो कानून पास हो रहा है उसमें निरंतर संशोधन होते रहता है और जनसुनवाई का जो प्रक्रिया है वो 14 सितम्बर 2006 का कानून बना है, अधिसूचना बना है उसके अनुसार जनसुनवाई होता है। जनसुनवाई का अभिप्राय क्षेत्र की जनता से या देश–विदेश की जनता से पर्यावरण को बहुत ही गंभीर मुद्दा माना जाता है, संवेदनशील मुद्दा माना जाता है, बोलने का सभी को अधिकार है कोई दूसरा देश का आदमी भी आकर आपत्ति, सहमति दर्ज करवा सकता है वो भी तर्क संगत प्रक्रिया से। मुझे खुशी हुआ है कि जो पिछला अधिकारी था आंख बंद करके भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जनसुनवाई को पुलिस के डंडा के जोर में करवा लिये थे। नया साहू साहब आये है और हमारे आदरणीय मैडम जी यह्न जिला दण्डाधिकारी के पद को सुशोभित कर रहे है और निश्चित रूप से जिला में जिला दण्डाधिकारी का सबसे बड़ा अहम भुमिका होती है कानून के परिपालन के लिये। यहा कानून व्यवस्था को देखने के लिये और भी अधिकारियों को ड्यूटी लगा है, तहसीलदार साहब का, एस.डी.एम. साहब का। अब ये जनसुनवाई के वैधता पर चर्चा करने के लिये विषय बनता है की इसके अधिसूचना का प्रकाशन कितने तारीख को हुआ है, मैं साहू साहब से निवेदन करता हूँ कि कितने तारीख को समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित किया गया है और कौन–कौन ग्राम सम्मिलित किया गया है। आदरणीय साहू साहब आपसे मेरा निवेदन है कितने तारीख को अधिसूचना आपके विभाग के द्वारा जारी किया गया है और कौन–कौन उसमें सम्मिलित है जिसमें ई.आई.ए. रिपोर्ट आप लोगो ने जनता के अवलोकन के लिये प्रेषित किये है। इसको मैं उपस्थित जनता के समुदाय के बीच जानना चाहता हूँ, जयंत बहिदार को कानून का दुरूपयोग करके आप लोग हटा दिये है बल पूर्वक। यहां संविधान का पालन होना चाहिये और एक नागरिक का जो अधिकार है वो आप लोगों के अधिकार से बड़ा है, हनन नहीं करते आप उसको, आप बल प्रयोग नहीं कर सकते है, आप हटा नहीं सकते मैं अगर कोई तर्क सम्मत बात नहीं कर रहा हूँ तो आप हटवा दो, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, ये कंपनी मालिक मेरा कोई दुश्मन नहीं है और जो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अमला है वो लोग संविधान की रक्षा, कानून के परिपालन के लिये बैठे है लेकिन मेरे को अभी तक जितना जानकारी था की जो ई.आई.ए. रिपोर्ट अध्ययन क्षेत्र में 10 किलोमीटर के वायु सीमा में सब गांव में जाना था आप लोग नहीं भेजे है। आदरणीय पीठासीन अधिकारी महोदय जब आप लोग भेजे नहीं है तो उसको कैसे जानकारी लगेगा की जनसुनवाई हो रहा है तो ये जनमत संग्रह के प्रक्रिया की सबसे बड़ी खामी है कि

आपके क्षेत्र के ये आदिवासी क्षेत्र के अनुसूची क्षेत्र के जनता के अधिकार का हनन करे है और उसको गाली दिये है तो क्या आप लोगो को कौन सा सरकार ऐसे अधिकार दे दिया है कि आप ये आदिवासी क्षेत्र के जनता लोगो के अधिकार से वंचित कर रहे है और आज ये जनसुनवाई में आप लोग उपस्थित है। मैं साहू साहब से निवेदन किया हूँ कि जहां–जहां कॉपी को आप लोग जनता के अवलोकन के लिये रखे है वो कॉपी को संलग्न नहीं किये है जिसमें समाचार पत्र का कटिंग लगना चाहिये और ये जो उद्योग है जो राज्य शासन को जनसुनवाई करवाने के लिये ई.आई.ए. रिपोर्ट को राज्य प्रदूषण संरक्षण मण्डल में भिजवाये वो चिट्ठी भी नहीं है और अगर है तो बताओ आपके कॉपी में अगर है तो ये बता दो की कितने तारीख को आवेदन किया था और आप लोग जो समय सीमा है उसको पुरा कर पाये है क्या? और अगर नहीं कर पाये है तो राज्य सरकार के पास, राज्य प्रदूषण संरक्षण मण्डल के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो जनसुनवाई को करवाये। माननीय पीठासीन अधिकारी महोदया मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, न्यायालय का ऊंचा सबसे सर्वमान्य है, संविधान की रक्षा का आप लोगो को पालन करना पड़ता है और आप सरकार के बहुत जिम्मेदार पद है, न्यायिक और प्रशासनिक पद में है, मैं आपसे निवेदन करूंगा की वो पत्र नहीं है तो तत्काल जनसुनवाई को निरस्त कर दे और आप जनता को अवगत करा दे की ये पूर्ण रूप से अवैध हो रहा था, अज्ञानतावश जानकारी नहीं था इसके लिये आप लोग आ गये है, पहले के लोग पैसा लेकर आ रहे थे, भ्रष्ट थे, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, कलेक्टर सभी करोड़ो रूपये का लेन–देन करके ये जनसुनवाई को पुलिस के डंडा के जोर में करवा लिये। यहां एस.डी.एम. साहब है मैं उनको भी निवेदन करूंगा की इतना फर्जी कागजात की जो ई.आई.ए. रिपोर्ट को कंसलटेंट कंपनी बनाया है वो कौन–कौन सा नमूना लिया है सैंपल टेस्टिंग के लिये लिया जाता है उसको लेबोरेट्री में भेजा जाता है, वहां हवा, पानी, मिट्टी ये सब चीज सैंपल लिया जाता है और जो गांव का सैंपल लिया जाता है वो गांव में पहले आवेदन लगाया जाता है ग्रामपंचायत में कि हम आपके यहां से नमूना लेंगे और पंचनामा बनता है वो पंचनामा है क्या ये ई.आई.ए. रिपोर्ट में और नहीं है तो जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है वो फर्जी है ये कंसलटेंट कंपनी निरंतर इस क्षेत्र में काम कर रहा है और टेबल में, लैपटॉप में आंकड़ा को डाल दे रहे है, ये अपराधिक प्रकरण है, कंपनी जो है और कंसलटेंट कंपनी अपराध किये है फर्जी ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत करके सरकार के पास, जनता के पास ये सुनियोजित षड़यंत्र के अपराध की श्रेणी में कि षड़यंत्र करना, फर्जी दस्तावेज बनाना, फर्जी दस्तावेज को इस्तेमाल करना और जनता, शासन, प्रशासन के साथ सामुहिक धोखा करना उसका अपराध पंजीबद्ध होना चाहिये, मैं पीठासीन अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा तत्काल आदेश पारित करे और तत्काल गिरफ्तार करवाये और पुलिस प्रशासन के लोग भी मेरे बात को संज्ञान में लेकर एफ.आई.आर. के रूप में दर्ज करे, प्रथम सूचना प्रतिवेदन के रूप में दर्ज करे, लिखित में देना जरूरी नहीं है, यहां पुलिस के बड़े अधिकारी लोग है जिनके पास स्वस्फूर्त संज्ञान लेने की क्षमता है, एफ.आई.आर. दर्ज

करने की क्षमता है कि वो अपराध की जानकारी उनके संज्ञान में आ जायेगा तो उन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिये। मैं एस.डी.एम. महोदय से जो यहा कानून के व्यवस्था में अपना सेवा दे रहे है अगर पीठासीन अधिकारी महोदया कानून के परिपालन पर ये अपराध पंजीबद्ध नहीं करवा रहे है और अवैधानिक जनसुनवाई को जारी रख रहे है तो उन लोगो को गिरफ्तार करने का आदेश जारी करे, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। अपराधी कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई राष्ट्रपति, कोई न्यायिक पद वाला नहीं रहता अपराध किया मतलब वो अपराधी है वो जो भी धारा के तहत अपराध किया है उसमें उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिये, मैं साहू साहब आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ वो पत्र को आप इन लोगो को बता दो कि कौन–कौन गांव में अध्ययन क्षेत्र में आप लोग ई.आई.ए. को भेजे है और अगर नहीं भेजे है तो आप ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहे है, आप यहां से उठीये और जाईये मैं मंच खाली करने का आदेश देता हूँ नागरिक होने के नाते और आप एक सेवक होने के नाते कानून का पालन करे, कर्तव्य का पालन करे यहां आप लोग जबरदस्ती बल का उपयोग मत कीजिये, दुरूपयोग मत कीजिये। जो सरकार में आप लोग बैठे है और जो जनता आपको वेतन देता है उसके प्रति आप वफादार बनो, आप लेटर बताओ ये अधिकार है मुझे पुछने के लिये, जयंत भाई को जबरदस्ती कानून का दुरूपयोग करके हटाये है। एस.डी.एम. साहब ये जो अपराधी है दोनों उनको गिरफ्तार करवाओं पहले अगर कानून के परिपालन करने वाले अधिकारी है तो, आप अगर संविधान को समझते है, कानून को समझते है पहले ये दोनों को गिरफ्तार करो उसके बाद कंपनी वाले को और कंसलटेंट को, ये लोग मनमानी नहीं कर सकते इसका मैं विरोध करता हूँ और ऐसे बेशर्मी क्या उन लोग करोड़ो रूपये खा कर आये थे तो आप लोग भी आये है क्या दोनो? आप लोग भी बिके हुये है क्या? आप लोगो का भी पालिग्राम टेस्ट होना चाहिये और छत्तीसगढ़ में जितने भी पर्यावरण अधिकारी है, राज्य में बैठे है वो लोगो को जो इनफार्मेंस जो डायरेक्ट्री है वहां छापा मारना चाहिये, खाली कोयला में नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री कोयला से नहीं बटोर रहा है, करोड़ो, अरबो रूपया उद्योगपतियों का गला दबाकर उसने लोगो को अवैधानिक लाभ पहुंचाने के लिये सब काम कर रहा है, इन लोगो से भी ले रहा है। तो क्या पीठासीन अधिकारी महोदय अपने कर्तव्य का पालन करेंगे मैं उसके लिये दण्डवत प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उनके न्यायालय के शरण में हूँ और वो न्यायिक पद में है, न्यायिक पद का सम्मान करते हुये, संविधान का सम्मान करते हुये जिस अनुबंध में वो हस्ताक्षर करके आये है उसका पालन करें और मैं न्याय प्राप्त करने का अधिकारी हूँ। मैं न्याय कोई भीख में नहीं मांग रहा हूँ ये संविधान मेरे को अधिकार दिया है न्याय प्राप्त करने के लिये और कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिये संज्ञान दिलाने के लिये और अपराधी लोगो को गिरफ्तार करवाने के लिये। तो आप लोगो से निवेदन है साहू साहब आप हॉ या ना मे जवाब दीजिये ई.आई.ए. मे पत्र संलग्न है की नहीं, माईक जो रखे है उसका उपयोग है, जनता को भी पता लगे, खाली मौन होकर बैठ जाते है तो पैसा लेकर मौन है क्या? पीठासीन अधिकारी महोदया

आप कानून के ज्ञाता है आप आई.ए.एस. का परीक्षा पास करके आये है, कानून के सब धारा को जान रहे है आप सब लोगों को गिरफ्तार करवाओ, और कल का भी जनसुनवाई नहीं होना चाहिये। ये 07 किलोमीटर, 08 किलोमीटर दूर तो उस क्षेत्र की जनता कैसे आयेगी और आप लोग जो विडियोग्राफी की प्रक्रिया है वो संपूर्ण जनसुनवाई की प्रक्रिया, संपूर्ण का मतलब है जिस दिन से अधिसूचना जारी हुआ है उसी दिन से पर्यावरण संरक्षण मण्डल वो क्षेत्र में वो राज्य में जिलावार और प्रभावी जो आंकलन क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र है उस गांव में मुनादी, मुनादी की व्यवस्था इसलिये रखा गया है की हर आदमी पढ़ा नहीं है वो ई.आई.ए. रिपोर्ट को अध्ययन नहीं कर सकता उसी के लिये मुनादी करवाया जाता है गांव में। आप ये बताओं ग्रामपंचायत स्वास्थ्य संस्था है, पेशा कानून का बात बाद में करेंगे, कोई भी ग्रामपंचायत में आप लोगो को अनुमति दिया है क्या कि आप यहां जनसुनवाई करवा लो। मेरे हिसाब से स्वास्थ्य संस्था को माननीय उच्चतम न्यायालय को निर्देशित करने का अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति को नहीं है, प्रधानमंत्री को नहीं है, मुख्यमंत्री को नहीं है तो आप लोग उससे बड़ा अधिकार रखते है क्या? आप लोग कानून का दुरूपयोग कर रहे हो, संविधान को अपमानित कर रहे हो तो संविधान का परिपालन कौन करेगा, मौन होकर बैठना हल नहीं है, मैं न्याय प्राप्त करने आया हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ तर्कसंगत नहीं बोल रहा हूँ आप लोग बता दो। रायगढ़ का मिडिया यहा नहीं दिख रहा है, काहे नहीं दिख रहा है? मेरे को मिडिया वाला रात को खटखटाया और बोला मुझे यह बताओ तो ये क्या है वो प्रिंटेड प्रोफार्मा था वो यहा जमा होगा, सैकड़ो, हजारो की संख्या में जिसमें इस क्षेत्र की जनता का अंगुठा होगा तो यहां जो भी मन में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, कंपनी अच्छा काम किया है तो उसका समर्थन होना चाहिये। वोटिंग का जो प्रक्रिया होता है उसमें एक लाईन ऊपर–नीचे हो जाये, अभी तो इलेक्ट्रानीक आया है जिसके दम मे सरकार बन जा रहा है तो एक लाईन ऊपर–नीचे हो जाये तो वो रिजेक्ट हो जाता था, आप पीठासीन अधिकारी महोदय जो समर्थन बोलने नहीं जान रहा है उसका समर्थन भी आप लोग रखे है क्या, उसको रिजेक्ट करने का अधिकार तो आपका है, आपको क्यों बैठाया गया है? जो समर्थन नहीं बोलने जान रहा है और बोल कर चले जा रहा है कि कंपनी ला मोर हे, तो वो क्या है, तो वो वैध नहीं होना चाहिये वो अवैध हो जाना चाहिये, कोई कारण हो समर्थन करने का और विरोध करने का भी वो निश्चित कारण हो, पीठासीन अधिकारी महोदय मैं जो भी कहां हूँ उसको आप बता दें ताकि आगे के बिंदु में भी प्रकाश डाल सकुं, आपत्ति को दर्ज कर सकुं। ये रूपानाधाम कंपनी का जो अवैध जनसुनवाई है जिसका आज लोग मुखिया है आप लोगो के पास अभी भी समय है कानून का परिपालन करें और दण्डाधिकारी महोदया महिला है, महिला लोगो में बहुत जागृति है, यहां बड़े–बड़े अच्छे कलेक्टर आये, हर्षवर्धन जैसे जो देश–विदेश में जाने जाते है वो कानून का परिपालन करवाये वो जिंदल जैसे बड़े कंपनी का भी तेल लगाया तो आप कानून का परिपालन करो आपको उसी का वेतन मिलता है, कि कंपनी आपको अलग से वेतन देता है।

आपकी क्या ऐसी मजबुरी है की आप मौन है। आपको यही डिसाईड करना है, मैं जो मांग रहा हूँ उसको दिखाना है, साहू साहब दिखाओ, आपके माता–पिता इतना श्रम, मेहनत करके आपको इतना शिक्षित बनाये और इस पद के काबिल बनाये तो आपको देश के संविधान के परिपालन करने की जो जिम्मेदारी मिली है उसको करो आप। ये जितने पेज का बना है अधिसूचना उसका एक भी कंडिका को नहीं जानती है मैडम इसका मैं दावा करता हूँ, अगर जानती है तो मैं अभी पूंछु और आप भी अभी नहीं बता सकते, पर्यावरण अधिकारी है, क्या डर है, क्या भय है, कौन आपको परेशान कर रहा है, कोई गोली मरवा दूंगा बोल रहा है कि जगदलपुर तरफ भेज दूंगा बोल रहा है, नौकरी तो करना है आप लोगो को। आप बताओं कि कितने तारीख को वो आवेदन लगाया है और 45 दिन के अंदर आप करवा रहे हो की नहीं, जनता कम से कम सुने की आप लोग क्या किये है? मैं तो जानता ही हूँ लेकिन जनता को भी जानकारी होना चाहिये इस क्षेत्र के, यहां के एस.डी.एम. साहब को भी जानकारी होना चाहिये, यहां पर पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी है, पत्रकार है उन लोगो को भी जानकारी होना चाहिये की आप क्या कर रहे है? भारत के संविधान के या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के आप नुमाइंदा नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आप लोगो को तन्ख्वा देने आता है क्या, की उसी के गुलाम है अभी भी। 6 अगस्त 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो आजादी का अनुबंध हमारे पुर्खा लोग किये है उसको रमन सिंह, भुपेश बघेल, मोदी और सोनिया गांधी उसको जनता को नहीं बता सकते, सब गुलाम है तो आप लोग अपनी गुलामी स्वीकार कर लो यहां की हम लोग भी उसी प्रकार गुलाम है और हम लोग निजी कर्मचारी है, हम लोग कानून का परिपालन नहीं कर सकते ताकि वो पर्यावरण मंत्रालय में संदेश जाये, मेरे को 10 दिन के अंदर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है की मैं केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री से मुझे मिलने का अवसर मिला है, 02 साल से आपके जैसे अधिकारी लोग छत्तीसगढ़ में जितने भी अवैध जनसुनवाई करवाये हो उसका जांच करवा दो साहब, अधिकारी लोगो के पास कितना पैसा है जांच करवाओ उन लोगो के पास ई.डी. को भिजवाओं, तब पता चल जायेगा आप लोगो को। और इन लोगों का बयान को आप लोग इलेक्ट्रानिक पद्यति से करवाओं, 164 का जो बयान है इन लोगो को लाईव डिटेक्टर का प्रयोग करवाओं, ताकि पता चले की जो बोल रहे है सच बोल रहे है और जनता में जाहिर करे, तो देंखु मैं केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय का मंत्री भी ईमानदार है कि बेईमान है, हो सकता है भुपेश बघेल को गिराना है करके कुछ कर दे, मैं तो कोशिश करूंगा, मेरा काम है। हाईकोर्ट में भी यहा चिफ जस्टिस महोदय के यहां भी मैं इसी 20 तारीख को 02 कंपनी जिसमें अदानी का भी है एक आवेदन देकर उसके समक्ष उपस्थित होकर आवेदन को दिया हूँ। और वो भी अपने सम्मानित कुर्सी की रक्षा कर सकते है। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक सब कालेजिया सिस्टम में बैठे है न्यायाधीश लोग और सब लगभग चड्डी धो रहे है नेता लोगो का। तो देश की जनता को न्याय कौन देगा। जब ये लोग जानकारी नहीं दे रहे है जनता को बता नहीं रहे है, ये कोई गोपनीय संस्था से है क्या। रायगढ़ से तराईमाल कितनी दूरी पर

है आपके कानून में जो अधिसूचना बना है उसमें है जिला परिषद, नगर निगम क्या आप लोग ई.आई.ए. रिपोर्ट भिजवाये हो क्या? वो तो 10 किलोमीटर के अंदर में आ रहा है, क्या आप लोग जनपद पंचायत को भेजे है क्या, आप लोग क्या तराईमाल के ग्रामसभा का अनुमोदन लिया है क्या, वहां के सरपंच सचिव को पता नहीं। अगर ग्रामसभा हुआ है उसका अनुमोदन है तो मैं यहां से चल दूंगा, नहीं तो जनसुनवाई निरस्त करे, आप निर्णय ले, आपके कर्तव्य का मुझे बार–बार याद नहीं दिलाना चाहिये आपको खुद मालूम है, जो शासकीय सेवा में अनुबंध करके आये है की सरकार, संविधान नागरिक के प्रति आपकी क्या जवाबदारी उसको आप लोग पालन करे। वो अनुबंध को आप लोग याद करो और ये जो नौकरी कर रहे है ये केवल मौन रहने का नौकरी नहीं है। कलम दिये है तो लिखिये क्योंकि ये अवैध जनसुनवाई है मुझे जानकारी नहीं थी मुझे धोखा से हमारे कलेक्टर मैडम ने जो फरार है या पता नहीं क्या है उन्होने आदेश करके दे दिया मैं आ गई। अगर ई.डी. आपके यहां बैठ गया, पर्यावरण विभाग में और जो–जो पीठासीन अधिकारी थे तो मेरे को लगता है एक–एक लोगो के पास कम से कम 1–1 हजार करोड़ की अवैध सम्पत्ति होगी। अगर यहा इंटिलिजेंस ब्योरो के अधिकारी लोग है तो मेरे बात को पहुचांये, निश्चित रूप से राज्य में जो बैठा है तिवारी पंडित उसके पास कम से कम 50,000 करोड़ रूपये की सम्पत्ति है, पुरा वही मुखिया है, सब उद्योगपतियों से पैसा ले रहा है और सरकार को भिजवा रहा है। मैं पीठासीन अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि साहू साहब अगर नहीं बता रहे है तो आप भी रखे है ई.आई.ए. रिपोर्ट आप देख लीजिये उसमें नहीं है, अगर नहीं है तो काहे के लिये बैठे है, निरस्त कीजिये। वैधानिक प्रक्रिया में आपको अधिकार है जिला मजिस्ट्रेड को अधिकार है कि असंवैधानिक तरीके से अगर जनसुनवाई हुआ है या हो रहा है उसको पूर्ण मत करो, आप अपराधी मत बनो और अपराध कर रहे है तो बोल दे जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। फिर देखते है कौन–कौन न्यायालय में कौन–कौन न्यायाधीश हमको न्याय नहीं देता है। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुतला रायगढ़ में दहन किया हूँ मैं और यहां के हाई कोर्ट के 03 जज का भी काहे कि वे चोर थे, बेईमान थे, आप भी न्यायिक पद पर है, न्यायाधीश है आप बेईमान बने आप। आप न्याय करें जनता के साथ और इसको तुरंत निरस्त करो और ये लोगों के ऊपर अपराधिक प्रकरण दर्ज कराये, ये कंपनी जो करवा रहा है और कल भी जो करवायेगा वो भी उतना ही दोषी है। आप लोग कानून के लिये और संविधान के लिये एक शब्द भी नहीं बोल रहे है। ये जो बैठा है ठेकेदार बना है रायगढ़ जिला में उद्योग लोगो का और फर्जी ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे है, शासन, प्रशासन और जनता को गुमराह कर रहे है और कंपनी के जो प्रबंधन में है, बोर्ड के जितने सदस्य है, जितने जिम्मेदार अधिकारी है उन लोगों के ऊपर आप कानूनी रूप से अपराध पंजीबद्ध करवाकर यहां से भेज दो, उसको भी लगेगा की आप लोग कर्तव्य का पालन किये है और चोर लोगो को, भ्रष्ट लोगो को गिरफ्तार करके ले जाओ। आप महिला है आपसे मैं कानून का परिपालन का सादर अपेक्षा रखता हूँ, इस देश को बचाने के लिये यहां के

जनजीवन को बचाने के लिये आप कदम नहीं उठाओगे तो कौन उठायेगा। रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ नहीं भारत में सड़क दुर्घटना में मरने वाले में सबसे ज्यादा संख्या में है, इसका कारण है अंधाधुन औद्योगिकीकरण और विस्तार जिसको विकास कहता है सरकार। चारे सरकार बी.जे.पी. का आ जाये, कांग्रेस का आ जाये वो कहते है कि विकास कर रहे है तो क्या मृत्यु का विकास हो रहा है। ये पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन में रायगढ़ जिले में कौन–कौन कितना बीमारी वाला है उसका आंकड़ा है क्या?, यहां कितना कृषि भूमि है और कौन कृषि भूमि में क्या–क्या होता है कम से कम अध्ययन क्षेत्र में तो दर्शाते। यहां कौन सा ऐतिहासिक धरोहर नजदीक में है, कौन सा जल स्त्रोत है, कितना चिकित्सालय है, कितना विद्यालय है, कितना विद्यार्थी है, कितने महिला है, कितने पुरूष है, कितना जंगली पशु है, कितना पालतु पशु है कहां है आंकड़ा, क्या चीज का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन है वो क्या डिग्री लेकर बैठा है फर्जी आदमी, छत्तीसगढ़ को चारागाह बनाये है ये लोग, उद्योगपति लोग और ऐसे फर्जी ई.आई.ए. में आप लोग जनसुनवाई करवा रहे है यह अनुचित हैं। मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ फिर एस.डी.एम. साहब को आदेश देता हूँ कि वो आप लोगो को गिरफ्तार करे काहे कि अपराधी तो अपराधी है, आप लोगो को हथकड़ी लगना चाहिये, अगर पैसा के चक्कर में आकर यहां बैठ गये है तो और निश्चित रूप से 01–01 करोड़ रूपया आप लोगो को मिला होगा। अध्ययन क्षेत्र में कितने ग्रामपंचायत है भेजे है सब को। आप लोगो को बात इसलिये सुनना पड़ रहा है कि आप पैसा खा डाले है दोनों के दोनों। पूर्व कलेक्टर लोगों का भी मैं अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया हूँ अभी 156 3(अ) के तहत न्यायालय नहीं गया हूँ लेकिन जाउंगा यहां तक की प्रधानमंत्री के खिलाफ भी मैं अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया हूँ वो परिवाद लेकर जाउंगा, 156 3(अ) का जो श्रेणी है वो न्यायिक पद में बैठे जब अपराध करते है उन लोगो को दंडित करने के लिये है, वहा न्यायाधीश निर्णय नहीं ले सकता वो सिर्फ आदेश करेगा पुलिस को कि इतने दिन में आप विवेचना प्रस्तुत करें और अपराधी को गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत करें। तो आप लोग भी क्या मुझे चुनौती दे रहे है कि आप लोगो के खिलाफ मैं अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाउ और माननीय एस.डी.एम. महोदय आप भी नये और आप से भी करबद्ध प्रार्थना है की आप अपने पद की मर्यादा को ध्यान में रखते हुये अपराधिक मामला दर्ज करें और पुलिस तत्काल गिरफ्तार करें। अनुविभागीय अधिकारी लोग है जिनको स्वस्फूर्त संज्ञान लेने का अधिकार है। अवैधानिक तौर पर मंच पर कब्जा मत करें और हमारे ऊपर गुलाम समझ कर शासन मत करों, हम आपके गुलाम नहीं है आपके मालिक है, वेतन देने वाले मालिक है। आप बता क्यों नहीं रहे है कि अधिसूचना कब जारी हुआ माईक क्यों रखे है नहीं तो उसको फेकवा दीजिये। मौन व्रत धारण करने के लिये पैसा दिया है क्या रूपानाधाम वाला सेठ। 14 सितम्बर 2006 के अंतर्गत एक व्यक्ति को कितना समय दिया जाता है। यह जो ई.आई.ए. रिपोर्ट है और छत्तीसगढ़ राज्य में, अन्य राज्यों में मैं जाता हूँ और देखता हूँ वहा कानून के परिपालन के लिये क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी प्रतिबद्ध रहते है

और जो पीठासीन अधिकारी होते है उन्हे अधिसूचना का गलत अध्ययन होता है तो वो निर्णय लेते है मैं इन 27 वर्षो के जीवन में मैं और मेरे साथी बोल रहे थे, इस रायगढ़ जिले में 30 से अधिक जनसुनवाईयों को निरस्त करवाये है और आपके जैसे पीठासीन अधिकारियों ने उसे निरस्त किया है तो वे अलग पीठासीन अधिकारी महोदय थे, वो अलग कानून पढ़े थे और आप अलग कानून पढ़े है। केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय के लिये विशेष मेरा टिप्पणी है जिसको नोट करें कि जिन–जिन राज्यों में जिस भाषा को राज भाषा का दर्जा मिला हुआ है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसढ़ी को राज भाषा का दर्जा मिला हुआ है यहां का ई.आई.ए. रिपोर्ट छत्तीसगढ़ी में होना चाहिये ताकि मूल भावनाओं के अंतर्गत उसे समझा जा सके। मैं फिर से निवेदन करता हूँ की आप मेरे को कम से कम बोल दीजिये की मैं मजबुर हूँ, हम लोग कमजोर है, हम लोग डर रहे है, हम लोगों को गोली मरवा देगा ये फैक्ट्री वाला की रमन सिंह, की ये उद्योगपति वो मजबुरी में कर रहे है तो नौकरी मत कीजिये घर जाईये, व्यापार कीजिये, दुकान खोलिये बढ़िया चलेगा, क्या बोल रहे है निरस्त करेंगे क्या अभी। मैं इस जनसुनवाई का विरोध करता हूँ।

626. किरण, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
627. सकुंतला, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
628. सुनिता, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
629. सीयाबाई – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
630. ज्योति, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
631. पुनम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
632. मालती – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
633. लक्ष्मीबाई – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
634. कौशिल्या – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
635. सीता, राबो – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
636. केशरी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
637. सुकांति, राबो – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
638. बाई – विरोध।
639. कौशल– श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
640. नीलाधर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
641. निर्मल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
642. मनीषा – विरोध।
643. रवि – विरोध।

644. लाजवंती – विरोध।

645. सुशीला – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

646. किरण शर्मा, तराईमाल – हम लोगो का विनती है, हम लोग ग्रामपंचायत तराईमाल से है और यहां जितने भी आये है बिहार से है। हमारे यहां के लड़का लोग बेरोजगार है, उर्दना से लेकर पूंजीपथरा तक पूरा धुल उड़ता है। हमारे गांव में जितने भी प्लांट है सब प्रदूषण छोड़ते है रात को। हमारे क्षेत्र में प्लांट है हम खुश है कि हमारे बच्चे नौकरी करते है लेकिन इसका फायदा उद्योग वाले उठाते है। जो भाई यहां बोल कर गये है वो बहुत ही अच्छा बोले है मैं उनका समर्थन करती हूँ। यहां के अधिकारी खराब है तो यह कैसे सुग्घर रहेगा। यहां प्लांट वाले को बोलिये पानी डलवाये। यहां मंदिर में इतना प्रदूषण है कि हम मंदिर दर्शन के लिये भी नहीं आ सकते, पहले तराईमाल का स्कूल अच्छा रहता था लेकिन आज कल बच्चे खाना के साथ डस्ट खा रहे है। यहा गांव में कोई कंपनी वाला सेवा नहीं दिया है, हम सभी जगह जाते है उड़ीसा जाते है वहां का प्लांट बहुत ही स्वच्छ है। रोड में हम यहां जायेंगे तो पुरा धुल हो जायेगा, आप जांच करवाईये हमारे गांव के कितने व्यक्ति कंपनी में काम करते है। यहां एक भी ईंसान गांव का नहीं है सभी बिहार के है। मैं बच्चे लोगों के लिये बोलती हूँ। छत्तीसगढ़ के लोग प्लांट में केवल झाड़ु लगाते है, जितने भी मजदूर काम कर रहे है उनके बच्चे बिना शिक्षा के है उस पर ध्यान देना चाहिये। पहले हम यहां पर सब्जी लगाते थे और खाते है लेकिन अब हम खरीद कर खा रहे है। गांव के सभी लोग डस्ट खा रहे है। हमारे यहां के सभी को नौकरी चाहिये और पानी मारने के लिये बोलिये।

647. पुनिराम, गेरवानी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

648. संपत चौहान, – यह जो जनसुनवाई हो रही है वो किस लिये हो रही है। जनसुनवाई जब होती है तो ग्रामपंचायत से अनुमोदन करवाया जाता है वो हुआ है या नहीं? तराईमाल में कोई मुनादी नहीं कराया गया है, जनसुनवाई का प्रचार–प्रसार किसी भी पेपर में नहीं आया है। यह आदिवासी क्षेत्र है और यह ग्रीन लैण्ड घोषित है। इस वन में जितने भी जंगली जानवर है इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह आदिवासी क्षेत्र हैं यहा तेंदु, चार आदि होते है कंपनी के आने से ये सब चीज खत्म हो जायेगा। कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रभावित क्षेत्र में 45 प्रतिशत और स्थानीय लोगो को 75 प्रतिशत लोगो को रोजगार मिलना चाहिये। यह पहले से स्थापित है इसको और विस्तार नहीं देना चाहिये। दस्तावेजो की पुष्टि के उपरांत ही जनसुनवाई होना चाहिये।

649. भुवनेश्वर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

650. उत्तरा कुमार, सामारूमा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

651. फुलकुमार, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

652. मून्ना राम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

653. सुखराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

654. मुन्ना – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

655. रूपसिंह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

656. अजय, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

657. देवधर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

658. बेदराम, – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

659. मोहितराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

660. सुबितराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

661. लालकुमार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

662. मनोहर, गदगांव – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

663. गोपीलाल, गदगांव – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

664. रंजित, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

665. प्रदिप – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

666. विनोद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

667. परमानंद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

668. बलदेव – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

669. शंभु – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

670. विनोद, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

671. राजकुमार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

672. आनंद, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

673. मुन्ना, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

674. हेमंत – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

675. भरत, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

676. सूरज, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

677. डोलनारायण – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

678. बालस्वामी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

679. फुल सिदार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

680. गजनी प्रसाद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

681. परदेशी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

682. ब्रजेश, सराईपाली – यहां प्रदूषण को देखते हुये यहां का हालात और खराब हो रहा है लगता है हमे यह गांव भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा।

683. प्रेमलाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

684. दुकालू, गदगांव – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

685. लखपति, गदगांव – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

686. श्याम कुमार, गदगांव – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

687. ललित – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

688. मंगेश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

689. पप्पू, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

690. नरेश, तुमीडीह – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

691. शंकर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

692. सूरज दास – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

693. अजय – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

694. चंद्रमणी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

695. भीम सोनी, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

696. सचिन, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

697. आशीष जायसवाल – आप केवल यहां खानापुर्ति करने के लिये बैठे है। छत्तीसगढ़ में कई प्लांट का जनसुनवाई कैंसिल हुआ है। जहां पर प्लांट है वहां से 11–12 कि.मी. दूर करवा रहे है इससे पता चलता है कि आप क्या कर रहे है। आप इस जनसुनवाई को रद्द कर दीजिये। मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलुंगा और शिकायत करूंगा। यहां के स्थानीय लोगो से कचरा उठाया जाता है। जहां पर प्लांट है उस जगह पर जनसुनवाई करवाईये। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और इसको निरस्त कीजिये। यहां सी.एस.आर. मद से कुछ नहीं होता। अगर कोई प्लांट अच्छा काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम उसी प्लांट का विरोध करते है जो यहां काम नहीं करता।

698. राजेश त्रिपाठी, रायगढ़ – ये जो जनसुनवाई हो रही है 14 सितम्बर 2006 के अधिसूचना के मुताबिक उसमें अध्ययन में देखीये अधिसूचना आपके सामने पढ़ा हुआ है की जो जनसुनवाई का आयोजन का सब्जेक्ट में लिखा है परियोजना स्थल के ऊपर या नियरेस्ट जनसुनवाई का आयोजन करवाया जाना है। आखिर क्या कारण है कि परियोजना स्थल से लगभग 10 से 12 किलोमीटर एयर दूरी अगर देखेंगे तो 12–13 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर सड़क के माध्यम से देखेंगे तो जहा ये परियोजना का स्थल है लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर है। आप ये बताईये की जो ई.आई.ए. बनी है जहां परियोजना स्थल

स्थापित है, जहां विस्तार हो रहा है वहां के 10 किलोमीटर की रेडियस की बात करू या जहां जनसुनवाई का आयोजन हो रहा है वहा के 10 किलोमीटर की रेडियस की बात करू तो यहा जनसुनवाई हो रहा है तो यहा से 10 किलोमीटर के दायरे में जिंदल पॉवर प्लांट भी है, यहा का एलिफेंट का कारीडोर जो है वो भी 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अंदर है और आपको मालूम होना चाहिये की जुलाई महिने में एक जनसुनवाई हुई थी मेडिकल वेस्ट के डिस्पोज करने की। अभी 04 दिन पहले मुझे पता चला की पर्यावरण मंत्रालय ने उस जनसुनवाई को अनुमति इसलिये नहीं दी की पूंजीपथरा जो क्षेत्र है, तराईमाल जो क्षेत्र है, सामारूमा जो क्षेत्र है वो हाथी प्रभावित क्षेत्र है और उसके लिये केवल 01 एकड़ जमीन चाहिये थी। यानि यहां 70 से ज्यादा उद्योग स्थापित है उनके दो बार, तीन बार विस्तार हो चुके तब ये क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र नहीं है। परन्तु जनहित के मुद्दे में मैटिकल कचरे को डिस्पोज करने की एक परियोजना 01 एकड़ जमीन में लगनी है तो पर्यावरण मंत्रालय ये बोल दे कि ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है इसका मतलब पर्यावरण मंत्रालय से क्या प्रेरणा चाहिये और मैं यह कहता हूँ की गांव–गांव उद्योग लगाईये, घर–घर उद्योग स्थापित कर लीजिये परन्तु यहां के जो लोग प्रभावित है उनको एक बेहतर सड़क दे दीजिये। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मौते होती है, 73 मौते प्रतिमाह। शहर में हजारो की संख्या में लोग सड़क की दुर्घटना में मर जाते है, हजारो की संख्या में टुट–फुट कर विकलांग हो जाते है और आप विकास की बात करते है, आज मैं मोटर–साईकल से ही विकास के रास्ते तमनार से यहां तक आया। आपके रायगढ़ जिले में इन्फ्रास्ट्रक्चर नाम का सड़क नहीं है। आप उद्योग विस्तार हवाई जहाज से हवा में चलाओंगे, पुरे उद्योगो का विस्तार होगा, पहले इसकी क्षमता 1 लाख 30 हजार टन थी तब यहा 300 वाहन चलते थे, अब इसकी क्षमता होगी 6 लाख 48 हजार टन प्रतिवर्ष यानि 1500 वाहन चलेगी, सड़क कहा है, किस सड़क में आपका कोयला लायेंगे, आयरनओर लायेंगे, ये कच्चे माल के रूप में जो चीजे आयेंगी और जब चीजे बनेंगी, बाहर जायेंगी वो किस रास्ते से जायेंगी, सड़क तो है ही नहीं बता दीजिये। आज तक आपने यह जांच नहीं करवा पाई की स्थानीय उद्योगो में कितने लोगो को रोजगार मिला। आपके सामने अभी लगभग हजारो की संख्या में इन्हीं आस–पास के गांव के लोग अगर ये गांव के है, मुझे लगता है की लगभग 40 से 60 प्रतिशत लोग किसी ना किसी उद्योग के कर्मचारी है और दूसरे राज्य से काम करने वाले लोग है उन्होने अपनी बात कही है तो रायगढ़ जिले में अगर 173 उद्योग स्थापित है उसके बावजुद भी लोग यहां से पलायन करके दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते है तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति नहीं है। माननीय पीठासीन अधिकारी जब छत्तीसगढ़ बना था तो छत्तीसगढ़ के राज्य के अंदर रायगढ़ जिला था यहां 40 प्रतिशत वन था ये आपके आकड़े बताते है, 2001 का आप सेंसेक्स उठा कर देख लीजिये। आज स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में केवल 30 प्रतिशत जंगल बचा है। यानि 13 प्रतिशत जंगल आपके विकास के नाम पर चढ़ गया, लगभग 10–15 गांव उजड़ गये, लोगो की रोजी–रोटी खतरे में आ गई और जहां

उद्योग स्थापित है, जहां के लोग विकास का दावा करते है, आप आंगनबाड़ी का सेंसेक्स उठाकर देख लीजिये, उन क्षेत्रों से सबसे ज्यादा बच्चे कुपोषित है, उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाये कुपोषित है, उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बच्चे कुपोषित है। और अभी आपके सामने 04 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग ने सूचना के अधिकार में स्वास्थ्य परीक्षण की मैने जानकारी मांगी। शिवपाल भगत वर्सेस सरकार के खिलाफ जो एन.जी.टी. के अंदर केस लगा है, 28 जून को एन.जी.टी. ने ये आदेश किया था कि जो भी उद्योग प्रभावित और कोयला प्रभावित क्षेत्र है वहा स्वास्थ्य विभाग अध्ययन करेगा और एन.जी.टी. को ये रिपोर्ट देगा कि किस–किस प्रकार के क्षेत्र में बीमारियां है। हमने सूचना का अधिकार लगाया कि 03 दिन पहले दिया आप देख सकती है। ये इन्होने जुलाई 2021 में एक कैंप लगाया था और भीम सिंह पूर्व कलेक्टर ने 30 जून को सभी एस.डी.एम. को पत्र लिखा था कि कोयला प्रभावित क्षेत्र और उद्योग प्रभावित क्षेत्र में लोगो का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाये और लापरवाही का हद देखीये कि जिन गावों में 03 तारीख का डेट था कैंप का वो पत्र एक गांव सरसमाल है जहां मैं फिजिकली सरपंच के पास बैठा था वो लेटर 06 बजे शाम को उसके पास पहुचा था इसके बाद कोई भी आज तक कैंप लगाया नहीं गया। उद्योग लगना चाहिये मैं उद्योग का पक्षधर हूँ, रायगढ़ जिले में पर्यावरण विभाग के सूचना के अधिकार के जानकारी के तहत 02 लाख 30 हजार टन फ्लाई ऐश हर साल निकलता है और केवल 4–5 ऐसे उद्योग है जिनके पास ऐश डाईक है। आप अगर अपना नंबर दे तो कम से कम 40 से ज्यादा विडियो मैं अभी आपको दे सकता हूँ की केलो नदी के ऊपर, जंगलो के ऊपर, तालाब के ऊपर, किसानों के खेतों के ऊपर किस तरीके से रात में फ्लाई ऐश कंपनियों द्वारा उनके जमीनों में डाल दिया जाता है। पर्यावरण में 100 से ज्यादा मेरी खुद की शिकायत है, पर्यावरण जो विभाग है वो जांच करता है, और जांच वही निकलती है जो अंत में शुन्य हो जाती है। आपके रायगढ़ जिले में मेरे पास 2015 से लेकर अब तक 356 करोड़ रूपये डी.एम.एफ. का कम हो गया और 02 साल की लंबी लड़ाई के बाद राज्य सूचना आयोग के आदेश के बाद वो जानकारी मुझे मिली। जब मैं जमीनी स्तर पर उसका वेरीफाई किया तो पता चला की डी.एम.एफ. में जो हुआ है वही काम रोजगार गारंटी में हुआ है और वही काम अलग दूसरी परियोजना पता नहीं किससे–किससे हुआ है। तो अगर यह कहे की रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ का भ्रष्टाचार का चारागाह नहीं बंदरगाव है और जो भी यहा आता है केवल भ्रष्टाचार करने के लिये आता है। एक बैग भरकर लाया हूँ भ्रष्टाचार के कागज और पुरे प्रमाण, तथ्यों और प्रुफ के साथ आया हूँ। हम आखीर शिकायत किसके पास करेंगे, जिला खनिजन्यास का अध्यक्ष तो कलेक्टर है, लाईन डिपार्टमेंट उसके मैम्बर है, किस लाईन डिपार्टमेंट की अवकात है कि भरे मंच में कलेक्टर के खिलाफ बोल दे कि ये गलत कह रहे है वो दूसरे दिन सस्पेंड हो जायेगा और कलेक्टर अगर गलत कार्यवाही करता है तो शिकायत कलेक्टर के खिलाफ किससे करें, कोई मंच तो है नहीं। जो लोग कोयला प्रभावित क्षेत्र मे है उनकी दो संख्या है, आपकी 20 की कमेटी में 02 सरपंचों को आपने

सदस्य बनाया है तो डीएमएफ में आप काम नहीं करेंगे सीएसआर के तहत् आप काम नहीं करेंगे, सड़क आप नहीं बनाओगे, स्कूल बच्चो के लिये आप नहीं बनाओगे, हॉस्पिटल बनेगी नहीं, दवाई मिलेगी नहीं तो आर्टिकल 21 के तहत वो जो महिला यहां जो बोल रही थी कि भारत का संविधान का आर्टिकल 21 यह कहता है कि जो मेरे नैतिक और संवैधानिक अधिकार है उसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते, फिर आप ये जनसुनवाई करवा रहे है। 08 अगस्त 2022 को पेशा कानून एक्ट लागु हो गया है। आर्टिकल 244(1) के तहत आप देखीये उसमे क्या लिखा है कि पेशा एक्ट क्षेत्र के अंदर आर्टिकल 244(1) के तहत जब तक आप ग्रामसभा ग्रामपंचायत से अनुमति नहीं लोगे तो उस क्षेत्र में कोई गतिविधियां नहीं कर सकते तो क्या यह अध्ययन हुआ ये जनसुनवाई का निर्णय हुआ तो क्या उन ग्रामपंचायतों से अनुमति ली गई क्या और शायद अनुमति इसलिये नहीं ली जाती की सरपंच को आप एक धमकी देते हो की धारा 40 के तहत आपको बाहर कर देंगे, कोई ना कोई भ्रष्टाचार, गलत काम का तरीका बता कर वो बेचारा आपके खिलाफ बोल नहीं पाता, गांव के लोगो के पास आपके जानकारी नहीं है कि लोग आपसे ये पुछ सके की हमारे आर्टिकल 21 का क्या हुआ और इस जनसुनवाई में जयंत भाई जैसे बोल रहे थे, राधे जी बोल रहे थे और मेरे साथी लोग गांव के प्रभावित लोग बोल रहे थे, सभी लोग आर्टिकल 21 के उल्लंघन की बात उठा रहे थे और वही मैं भी उठा रहा हूँ तो हम यह कहना चाहते है कि जो पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति जिस कंडिशन पर मिली है क्या पर्यावरण विभाग रायगढ़ जिले के अंदर एक भी उद्योग का आज तक जांच किया है की जो पुरानी क्लियरेंस मिली है उसका फॉलो जमीनी स्तर पर कितना हुआ है और आपको बता दूं रायगढ़ में 10 से ज्यादा कोल माईंस चलती है सभी पर्यावरण क्लियरेंस में लिखा है कि 80 मीटर का ग्रीनरी बनाया जायेगा, पर्यावरण विभाग जांच भी करता है, केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय को जानकारी भी देता है और हकीकत यह है कि जमीनी स्तर पर एक भी कोल माईंस के ऊपर 80 मीटर नहीं 8 मीटर की भी ग्रीनरी आज तक नहीं बनी है, जहां ट्रांसपोर्टिंग होता है वहां क्या है, दिन में 03 बार पानी का छिड़काव किया जायेगा जिससे धुल के कण ऊपर ना उठे और पर्यावरण अधिकारी महोदय जो मैं कपड़े पहना हूँ इसमें आप पी.एम.10 और पी.एम.2.5 की जांच अगर कर लेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सामान्य से 10 गुना ज्यादा मेरे कपड़े में पी.एम.10 और पी.एम.2.5 के कण उपलब्ध है, केवल 15 किलोमीटर मोटर साईकल से आया हूँ, आप तो फोर विलर में आते–जाते है तो हमारा यह कहना है कि आप जो उद्योगो को परमिशन देते है, उद्योगो को आप आगे बढ़ाते है तो जो पर्यावरण नियमों के चिर आधारो पर उद्योगो को अनुमति प्रदान की गई है पहले उनकी जांच होनी चाहिये की वो उसका पालन कर रहे है कि नहीं कर रहे है और अभी पानी की बात आई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि ग्राउंड वाटर पानी जो है, भूमिगत जल उसका केवल उपयोग पीनी के रूप में और खेती के रूप में उपयोग किया जायेगा, परंतु रायगढ़ के 90 प्रतिशत से ज्यादा उद्योग है वो भूमिगत जल के पानी पर चल रहे है और अभी भी

वाटर कंजरवेशन जो एक्ट है उसका उल्लंघन है और उसमें कोई अनुमति नहीं ली गई है, कहा अनुमति लगी है तो पहले जो पानी निकाला जाता था, 1 लाख 20 हजार टन के लिये पानी ग्राउंड वाटर और उससे 6 गुना ज्यादा निकाला जायेगा तो क्या इसका कोई अध्ययन किया गया की आस–पास के जो गांव है वहा के भू–जल का क्या होगा वहा के लोगो के जीवन में पानी का संकट तो पैदा नहीं हो जायेगा, खनन क्षेत्रों में मार्च महिने से टैंकर में पानी जाता है और एक परिवार को 200 लीटर पानी दिया जाता है उसमें नहाना है, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, जानवरों को भी पानी पिलाना है तो क्या इसका अध्ययन किया गया। मै ये कहना चाहता हूँ कि पी.एम.10 आैर पी.एम.2.5, और जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण है क्या सार्वजनिक स्थल पर ऐसे कोई टूल्स लगाये गये क्या? तराईमाल अगर क्षेत्र में पी.एम. 2.5 और 10 और जो उसके हैवी वेट मटेरियल होते है उसका टूल्स लगाया जाये तो आम जनता को ये पता चल सके की इस क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति क्या है और इसका लोगो के जीवन पर, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी आपके पास नहीं लगा हुआ है। मेरा यह कहना है कि पहली कंडिशन इसमें एक तो जहां उद्योग लगे है 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो वहा पढ़े लिखे नौजवान युवक और युवतियां है उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाये, सड़क की मरम्मत कराई जाये इसके बाद परमिशन दिया जाये क्योंकि सड़क नहीं है प्रदूषण ज्यादा बढ़ेगा, लोगो का स्वास्थ्य खराब होगा। उद्योग ग्राउंड वाटर पानी लेने के बजाय केलो डेम से अगर पानी लेता है और उससे उद्योग चलाया जाता तो वहा के भू–जल स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इन चिजो का ध्यान देना अनिवार्यता है और जेसे मेरे प्रेस के साथी लोग कह रहे है ये कंपनी के समर्थन और विरोध का मंच नहीं है आज की जनसुनवाई इस बात के लिये हो रही है जो उद्योग का विस्तार होगा इससे इसके यहा के वातावरण में, यहा के रहने वाले लोगो पर, यहा के पशु–पक्षी पर, यहा का जल–जीवन पर कितना उसका प्रभाव पड़ेगा ये आप लोगो से इस जनसुनवाई के माध्यम से सरकार जानना चाहती है, पुछना चाहती है और ना तो हम किसी के विरोधी है और ना ही किसी के समर्थक, हम यहा के पर्यावरणीय नियमों के आधार पर हमको जो निगरानी करनी चाहिये, इसकी देख–रेख करनी चाहिये जो यहा के स्थानीय लोगो के होते है उन मुद्दो को रखने के लिये।

699. उमेश, सराईपाली–श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। लागों को रोजगार दे रहा है मेरे गावं में कोई बेरोजगार नहीं है। मेरे क्षेत्र का कोई लोग विरोध नहीं किया है। यदि काई दुकान भी खोलता है तो उसका दुकान चलता है। यदि काई बीमार होता है उद्योग के द्वारा सहयोग किया जाता है। गांव में फंड उद्योगों के द्वारा दिया जाता है। लोगों को आर्थिक रूप से सहयोग किया जाता है। समर्थन करता हूं। मेरे गांव में ऐसा कोई नहीं बोला की मेरे खेत पॉल्यूशन है।

700. किरण शर्मा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। ये परिवार गायत्री परिवार की आर्थिक सहायता करते हैं।

701. जया – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

702. नरेश चंद – मैं गौ सेवा समिति से हूं। रूपानाधाम के निर्देशक के द्वारा उनका सहयोग मिलता है मार्गदर्शन करते है, आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। उनमें एक सामान्य व्यक्ति की तरह है। श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

703. ईश्वर प्रसाद– श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। लोगों की सहायता करते हैं।

704. खीरसागर मालाकार, तराईमाल – यह एक राजनीति का मंच है यह एक उद्योग के विस्तार का मंच है। उद्योग की जो यह क्षमता है उसके विस्तार का समर्थन करना चाहीये या नहीं है। गौ सेवा करते हैं, धार्मिक कार्यों से लोगों की सहायता करते हैं। यदि कोई उद्योग आता है हमारे बीच तो सूचना आई की ग्राम पंचायत की बैठक हुई किसी भी प्लांट के विस्तार में ग्राम पंचायत की सहमति आवश्यक होती है। लोगों के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को अपशब्द कहा गया है वह गलत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो चावल मिलता है वह शासन से ही आता है, विकलांगों के लिये पेंशन चला रहें हैं। सरकार की योजना प्रसंशा की बात है। हम यहा के रोड को अपने दम पर बनाना है हमें यही सोच रखनी चाहिये। कंपनी से मैं सारे काम लेते रहता हूँ मैं तराईमाल में बी.एस. स्पंज द्वारा 35 लाख का प्रजोजल लेकर गया। उद्योग के सहयोग से ही हम ये सब कर सकते है। प्रस्ताव बनाकर हम उद्योगों को देते है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उद्योग द्वारा एक ट्रामा सेंटर का निर्माण कराया गया है, सभी को योग्यता अनुसार रोजगार दे रही है। उद्योग को कर्ज का भी ध्यान देना होता है। मैं 2004 से 2014 तक स्पंज आयरन में कार्य किया हूँ। उद्योग से ज्यादा फायदा उद्योग के आस–पास दुकान लगाने वाले को होता है। जहां उद्योग का विकास होगा वहा विनाश भी होता है इसके लिये हमे जागरूक रहना होगा। उद्योग के विकास के साथ 12 गांव का विकास भी जुड़ा हुआ है। यहा जितने भी उद्योग लगे उससे उससे सभी को फायदा हुआ है।

705. अंश प्रताप, – जहां प्लांट खुलता है उससे लोगो को फायदा ही होता है लोगो को योग्यता अनुसार काम दिया जाता है। यहा लोग कुछ पड़ा ही नहीं है उसको भी झाडु लगाने का काम दिया गया है।

706. राजू, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

707. सहयोग – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

708. राहुल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

709. नाशिर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

710. दिपांशु – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

711. पुष्पा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

712. शनीराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

713. सुमित – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

714. देवदास – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

715. किसान – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

716. मनोज – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

717. मुकेश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

718. विवके – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

719. पवन – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

720. राजेश्वर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

721. बल्लब – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

722. करण – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

723. भुपेश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

724. देवप्रसाद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

725. शशि – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

726. शेखर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

727. शोभा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

728. बनवारी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

729. रामप्रसाद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

730. संतोष – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

731. लोकेश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

732. संजू – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

733. करणदास – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

734. कृष्णा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

735. ओमप्रकाश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

736. राहित – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

737. सूरज – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

738. सोहन – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

739. लक्की, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

740. दिलेश्वर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

741. गुलामत, सामारूमा – मैं बहुत खुश हुआ कि आपके आने से जो डस्ट था वो गिर रहा हूँ। आपका ट्रांसफर होगा तो कलेक्ट्रेड में धरना प्रदर्शन करूंगा। रोड को तो आप देख ही रहे है। यहा आने–जाने का कोई सुविधा नहीं है। आने–जाने में दिक्कत होता है। बीमार पड़ने वाला आदमी रास्ते में हीं मर जाता है। यहा जहाज एक रायगढ़ में रख देना चाहिये और दूसरा यहा। मैं कंपनी का विरोध नहीं करता हूँ क्योंकि मैं उन्हीं के पैसे से ही पड़ा रहा हूँ। यहा आवास योजना के तहत कोई पैसा नहीं मिला और कई घर आधा बना और कई घर बना ही नहीं। श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
742. रमीला, बरपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
743. पदमनी, बरपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
744. साधमति – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
745. भगवति – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
746. सुमित्रा – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
747. लोकमति – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
748. प्रदीप – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
749. कन्हैया लाला – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
750. राजू, तराईमाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
751. नवल गुप्ता – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
752. परशुराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
753. राजकुमार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
754. दीपक – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
755. जन्मेजय – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
756. सुरेश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
757. किशन – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
758. बल्लू – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
759. शिवम दुबे – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
760. उमेश, सराईपाली – मैं एक युवा बेरोजगार हूँ। श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
761. सुधीर, जमडभरी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
762. अमीत – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
763. गुलाब – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
764. विनोद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

765. विमल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

766. ओमप्रकाश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

767. धनंजय – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

768. शत्रुघन – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

769. कुंजराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

770. भगतराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

771. सिरिल कुमार – मैं सभी का व्यक्तिगत विचार सुन रहा था उन सभी का सम्मान करता हूँ। आम आदमी पार्टी रायगढ़ 13 बिन्दुओं पर विरोध कर रहे है। क्या सच में रायगढ़ उद्योग विस्तार या और प्लांट जो खुलने वाले है उसको झेल पायेगा। पर्यावरण को नुकशान पहुचाने के लिये और उद्योग क्या यहा खुल सकता है? हमारी पार्टी प्रदूषण रहित रायगढ़ बनाना चाहती है। यहा उद्योग विस्तार क्या यहा हम उद्योग खुलने ही नहीं देंगे। यहा पर्यावरणीय अध्ययन हुआ है कि नहीं इसका जवाब दे दीजिये।

772. राजेश गुप्ता, छाल – उद्योग है तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

773. गिरिस कुमार देवांगन – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। यहा रायगढ़ में आकर प्रसन्न हूँ। आज के युवा बहुत बेरोजगार हो रहे है क्योंकि यहा उद्योग का विस्तार नहीं हो पा रहा है। विस्तार होगा तो रोजगार मिलेगा।

774. कांति, सराईपाली – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है क्योंकि समस्याओं को जल्द ही समाधान किया जाता है।

775. कुमार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

776. पंचराम मालाकर, तराईमाल – मैं पूर्व में 6 बार उप सरपंच कर चुका हूँ। अभी मेरे छोटे भाई को उप सरपंच बनाया गया है। मैं कंपनी को अच्छी तरह जातना हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे अधिक से अधिक विकास करें। श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। उन्होंने बंजारी मंदिर में भी दान दिये और उनसे चंदा लेकर इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है और बिच–बिच में नवरात्रि के समय 9 दिन का भंडारा होता है और लास्ट के दिन लगभग 15000 लोग यहा आते है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। यहा जितने भी पड़े है उसको उसी हिसाब से नौकरी दिया जाये।

777. मोहम्मद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

778. भरत – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

779. समारी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

780. गंगाधर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

781. जयकुमार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

782. सुरेन्द्र, सराईपाली – कंपनी के आने से हमारे क्षेत्र को फायदा हुआ है शिक्षित लोगो को रोजगार मिला है इसलिये मैं श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

783. कुंवर प्रसाद – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

784. संदीप कुमार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। जितने भी बेरोजगार घुम रहे थे वे कंपनी के कारण सभी को फायदा हो रहा है। विकास कंपनी से ही हुआ है और रायगढ़ को भारत में जाना जाता है वो केवल व्यापार के लिये है कुछ नुकशान हुआ है लेकिन फायदा भी हुआ है।

785. मिथलेश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

786. सौरा लाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

787. रेतराम – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

788. प्यारेलाल – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

789. चंद्रशेखर – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

790. नवीन सिंह, गेरवानी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। आज ये जनसुनवाई हो रही है उद्योग को बढ़ाने के लिये हमको इसमें समर्थन करना चाहिये। जो विरोध किये है बताये कि कंपनी से उनको फायदा नहीं हुआ है क्या? हमारा उद्योग आगे बढ़ेगा तो हमारे साथ प्रवासी मजदुर का भी फायदा होगा।

791. अनुज कुमार, तमनार – पूंजीपथरा क्षेत्र एक प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र बन गया है जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद इंशान को तीन चिजो की जरूरत पढ़ती है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन यहा केवल उद्योगो का फायदा हो रहा है बड़े और बड़े हो रहे है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। विकास की गंगा बह रही है और डी.एम.एफ. का पैसा कहा जा रहा है पता नहीं।

792. राजीव कुमार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

793. श्रीकांत द्विवेदी – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

794. प्रकाश त्रिपाठी – मेरा कहना यहा है कि उद्योग से गरीबी का विनाश होता है इसलिये श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। इस उद्योग से आप चाहते तो रोड़ का निर्माण हो सकता था। कई लोग बोलते है दिल्ली में इतना प्रदूषण है लेकिन हमारे यहा उससे भी ज्यादा प्रदूषण है इस पर ध्यान दिया जाये। प्रदूषण के चलते यहा के लोगो की रोजी–रोटी छिन गई। यहा का यह क्षेत्र में वनोपल होते थे, खेती–किसानी होती थी लेकिन वो भी नष्ट हो चुकी है, पेड़ो के फलने की क्षमता खत्म हो चुकी है। हमारे यहा बारो महिना पानी होती थी लेकिन आज–कल नहीं है। इस पर आप समुचित ध्यान दीजिये। लोग बोलते है यहा लोगो को बहुत रोजगार मिला लेकिन मैं मानता हूँ कि उस तरीके से नहीं हुआ। आप लोग

उद्योग में एक प्रयोगशाला बनाईये यहा के लोगो को शिक्षण संस्थान बनाईये। उद्योगों के द्वारा मानव श्रम शोषण हो रहा है लोगो को 12 घंटा से अधिक काम लिया जाता है। हमारे इस क्षेत्र में सामाजित व्यवस्था बाहरी व्यक्ति के दबाव से यहा का कल्चर नष्ट हो गया इसके जिम्मेदार शासन–प्रशासन है उद्योग नहीं है। यहा स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है। आप उद्योगो को बढ़ाईये क्योंकि उद्योग का विकास होगा तो देश का विकास होगा।

795. रोहित कुमार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। यहा बहुत सारे बेरोजगार व्यक्ति थे उन्हे रोजगार मिला है। इसलिये मैं श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता है।

796. देवप्रकाश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

797. विवेक – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

798. शेषकुमार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

799. अंकुश – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

800. सतीश वर्मा, सराईपाली – कंपनी के बनने से स्थानिय लोगो को रोजगार प्राप्त हुआ है और वहा के जो निजी रोजगार है उन्हे भी फायदा हुआ है।

801. शक्ति – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

802. कृष्ण कुमार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

803. लोकेश कुमार – श्री रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। कुछ लोग बोल रहे है कि हमारे लोग झाडु लगाते है 400 रूपये पाते है और 300 का दारू पिते है। उद्योग के वजह से लोगो को फायदा होता है। सभी का विकास उद्योग से ही हो रहा है।

804. मनीषा, रायगढ़ – जनसुनवाई का मुख्य तथ्य क्या है। उद्योग से हमे कोई विरोध नहीं है। गरीबो की जमीन पर उद्योग बनाने के बाद उसी को 8000–10000 की नौकरी देता है क्या इससे उसका गुजारा हो जायेगा। मैं इसका विरोध करती हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 04:30 बजे कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट श्री महेश्वर रेड्डी, हैदराबाद, प्रस्तावित परियोजना में ई.एस.पी., बैग फिल्टर वायु प्रदूषण का मशीनरी लगायेंगे जो भी धुआ निकलेगा वो उसमें पार्टिकुलेट मेटर 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से

कम होगा, पुरा कन्व्हेयर कवर्ड होगा इससे कोई ध्वनि बाहर नहीं आयेगा, वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम भी रखेंगे इसके अलावा मैकेनिकल डस्ट स्वीपर लगायेंगे ये सब लगाने से कोई भी वायु प्रदूषण नहीं होता है प्लांट के अंदर, इंटरनल्स रोड भी पक्का रहेगा और उसके अलावा हमने जो एयर क्वालिटी मानीटरिंग किया था उसके हिसाब से अभी जो प्रस्तावित विस्तार के जितना पार्टिकुलेट मेटर, सल्फर डाई ऑक्साईड, नाईट्रोजन ऑक्साईड निकलेगा इसको अभी भी एक्जिस्टिंग बेस लाईन को एड करने के बाद जो स्टैंडर्ड के अंदर नेशनल एंबियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो सेन्टल पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रखा था उसके अंदर ही है तो क्षमता विस्तार के बाद जो सल्फर डाई ऑक्साईड, नाईट्रोजन ऑक्साईड का कांसलट्रेशन स्टैंडर्ड के अंदर रहेगा जिससे ना कोई स्वास्थ्य पर प्रभाव होगा, ना कोई फारेस्ट पर इफेक्ट रहेगा, एनिमल पर इफेक्ट नहीं रहेगा, किसी पर इफेक्ट नहीं होगा। जल प्रदूषण के लिये इसमें जीरो डिस्चार्ज सिस्टम लगाया जायेगा, जो पानी निकलेगा उसे पुनः उपयोग किया जायेगा, कोई दूषित जल बाहर नहीं निकलेगा, इसके अलावा जो सीवेज निकलेगा उसे सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट में उसको भी डस्ट सप्रेशन, ऐश कंडिसनिंग और हरियाली के लिये उपयोग किया जायेगा, इससे कोई दूषित जल बाहर नहीं जायेगा यानि जीरो डिस्चार्ज सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन रहेगा इसमें, जब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है कोई भी दूषित जल बाहर नहीं जायेगा। पब्लिक हेयरिंग 45 दिन के अंदर ये 45 दिन का पब्लिक हेयरिंग करवाने का नियम इसी लिये लगाया था, इसके पहले ये प्रोसेस बहुत डिले जो जाता था इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्रोसेस इसको डिले को अवाईड करने के लिये मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरमेंट एण्ड फारेस्ट ने एक कमेटी को लगाया था पहले, ये कमेटी को लगाकर प्रोजेक्ट प्रपोनेंट को जल्दी प्रोसेस करने के लिये ये 45 दिन का नियम लगाया था। इसिलिये जो प्रोजेक्ट प्रपोनेंट को आपत्ति है तो वो कम्प्लेंट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरमेंट एण्ड फारेस्ट को, जो प्रोसेस ठीक चल रहा है तो दिक्कत नहीं होना चाहिये बाहर वाले को, 45 दिन का टाईम दिया गया है तो ज्यादा हो सकता है इसको किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिये। 15 दिन के बिच आया था लोकसुनवाई का एडवरटाईजमेंट इसमें 9 में 2022 में भारत पर्यावरण, वन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन इसु किया था इसके अंदर जब भी पब्लिक हेयरिंग पोस्पोंड होता है जो पहले एडवरटाईजमेंट से 45 दिन का अंदर नहीं होना चाहिये और मिनिमम 15 दिन का गेप होना चाहिये दूसरे एडवरटाईजमेंट में तो इसके हिसाब से आज की जो सुनवाई हो रही है ये ठीक तरह से वन, पर्यावरण मंत्रालय के नियमों के अनुसार ही चल रहा है। इसमें टोटल जमीन 32.890 हेक्टेयर का इसमें जो अभी एक्जिस्टिंग वर्तमान में है 11.141 हेक्टेयर और जो अतिरिक्त भूमि रहेगा 21.749 हेक्टेयर रहेगा, इसमें कंपनी का है गणेश लक्ष्मी का और कोई डायरेक्टर नरेन्द्र का यानि 11.96 हेक्टेयर का लैड है और बाकी रूपानाधाम के नाम पर 3.3 हेक्टेयर का रजिस्ट्री हुआ है और 6.7 हेक्टेयर का एग्रिमेंट किया है, इसमें हम लोग लोकसुनवाई के बाद मिनट्स का कापी मिलने के बाद फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करके मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरमेंट एण्ड फारेस्ट को सबमिट करते है ऑनलाईन सबमिशन उस टाईम में हम लोग पुरा जमीन का जो हम लोग दीखाये है, खसरा नबंर सहित ये पुरा डाक्यूमेंट हम मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरमेंट एण्ड

फारेस्ट को सबमिट करेंगे उसके दौरान ही अमेंडमेंट क्लियरेंस इशु होगा। यहां हाथी क्षेत्र है हम लोगो ने इसके लिये कंजर्वेशन प्लान बनाया था ये कंजर्वेशन प्लान चिफ कंजर्वेशन ऑफ फारेस्ट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ को सबमिट किया है वो अभी प्रोसेस में है जो मिलने के बाद हम फाईनली ये सबमिट करेंगे जो कंजर्वेशन प्लान में जो बजट अप्रुवल होगी उस बजट को इसमें प्रोटेक्शन के लिये रिक्वेस्ट करेंगे। फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट अप्रुवल के साथ ही जायेगा। बेस लाईन डेटा कलेक्शन जो टर्म ऑफ रिफरेंश के पहले ही शुरू हो गया बोल कर एक मुद्दा आया था, भारत पर्यावरण, वन मंत्रालय का एक ऑफिस मेमोरेंडम के हिसाब से बेस लाईन डेटा कभी भी पहले से भी डेटा कलेक्ट कर सकता है लेकिन तीन साल से ज्यादा नहीं होना चाहिये। ग्राउंड वाटर का अप्रुवल, ग्राउण्ड वाटर का अप्रुवल है 12 अप्रैल 2021 को सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथारिटी से अप्रुवल लिया है 98 किलोलीटर प्रतिदिन का तो ये 11 अप्रैल 2024 तक इसका वैलिडिटी है अभी जो विस्तार में पानी लेगा उसको वाटर रिसोर्सेश डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ से अनुमति लिया जायेगा इसके बाद ही एक्सपांशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। स्वास्थ्य के लिये जो व्यवस्था यहां इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिये मेजर्स सजेश किया है ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके अलावा मेडिकल कैंप भी लगायेंगे। बेस लाईन डाटा का पंचनामा गांव से नहीं लिया करके एक मुद्दा आया था, इसमें टर्म ऑफ रिफरेंस में इस तरह का बात नहीं था, फ्यूचर में इस तरह का बात आयेगा तो कंशीडर करके पंचनामा भी ले लेंगे ग्रामपंचायत से। ई.आई.ए. रिपोर्ट लोकल लैग्वेज में होना है इसके लिये भारत पर्यावरण, वन मंत्रालय के सूचना के अनुसार एक्जिक्यूटीव समरी को लोकल लैग्वेज में बनाकर जरूरी है, ई.आई.ए. रिपोर्ट लोकल लैग्वेज में देना जरूरी नहीं है, देना है तो दे सकते है लेकिन जरूरी नहीं है। सी.एस. आर. फंड में जो भारत पर्यावरण, वन मंत्रालय के नियमों के अनुसार जो फंड रहेगा उसमें उसको कंपनी करेगा इसके अलावा जो सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटी इस एरिया में 10 किलोमीटर के अंदर में किया जायेगा। पब्लिक हेयरिंग में जभी भी आप लोगो को कोई इशु है आप रिटर्न सजेशन दिया है इसको रिटर्न सजेशन में हम लोग सी.ई.सी.बी. ने हमे एक कॉपी भेजेंगे इसको हम रिफरेंश दे देंगे, ऑफिशियल लेटर देकर ले सकते है।

सुनवाई के दौरान 173 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 02 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। लोक सुनवाई में लगभग 1000–1100 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 173 लोगों ने हस्ताक्षर किये। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। तत्पश्चात सायं 05.00 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

(अंकुर साहू)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(संतन देवी जांगड़े)
अपर कलेक्टर
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)